www.kewalsachtimes.com
अगस्त 2022

KEWAL SACH TIMES

₹ 10

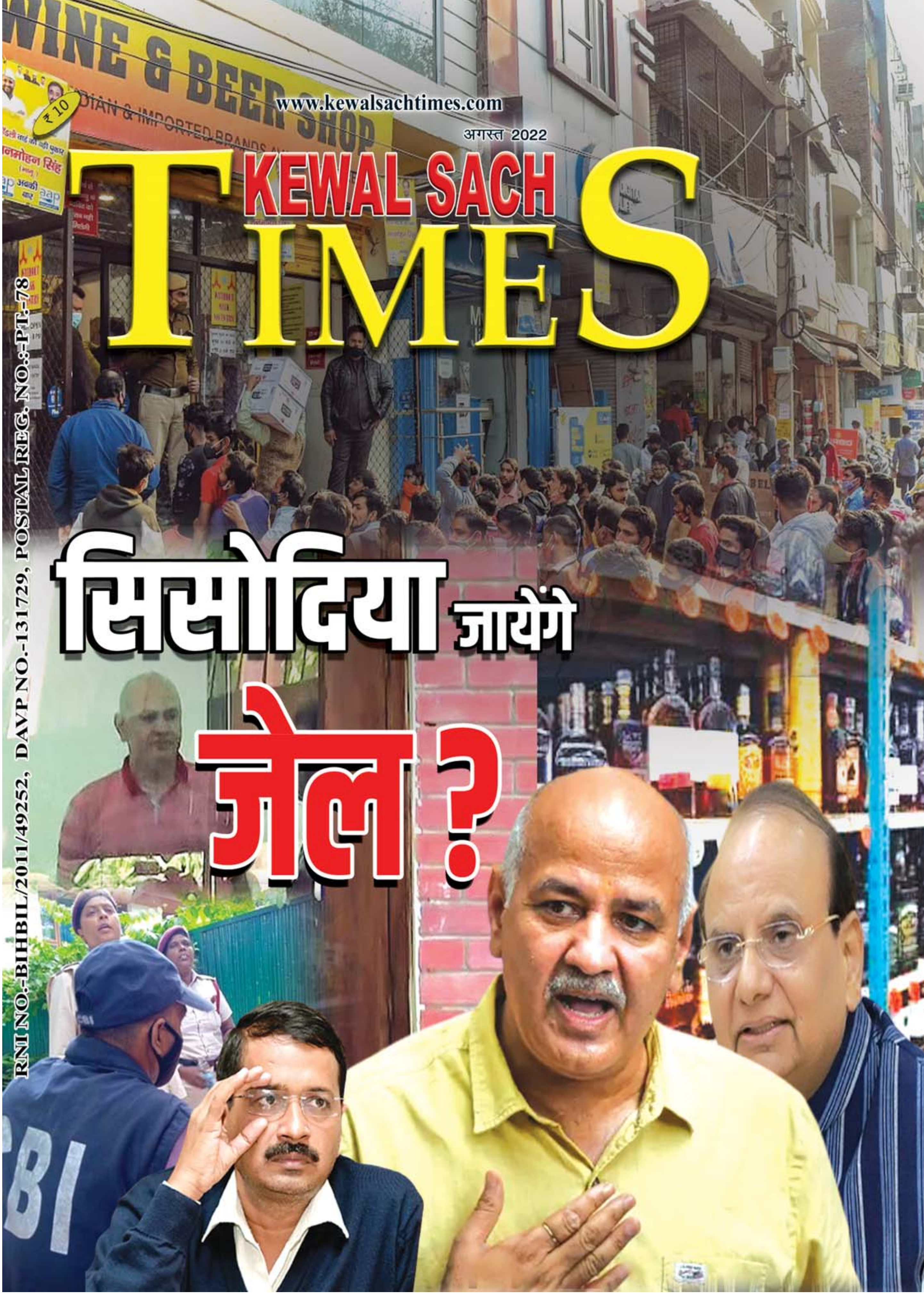

सिसोदिया जायेंगे जेल ?

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PT.-78

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
Kewalsach news
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं,
जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM | UPI
G Pay पे Paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

काजोल
05 अगस्त 1974

वेंकटेस प्रसाद
05 अगस्त 1969

कपिल सिब्बल
08 अगस्त 1948

महेश बाबू
09 अगस्त 1975

सुनील शेट्टी
11 अगस्त 1961

सीताराम येचुरी
12 अगस्त 1952

स्व०श्रीदेवी कपूर
13 अगस्त 1963

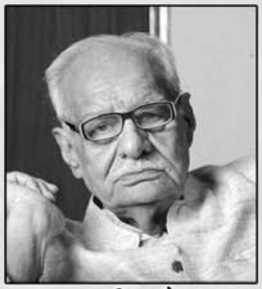
कुलदीप नैयर
14 अगस्त 1923

सुनीधी चौहान
14 अगस्त 1983

अदनान सामी
15 अगस्त 1973

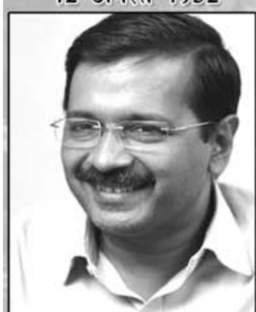
अरविन्द केजरीवाल
16 अगस्त 1968

सैफ अली खान
16 अगस्त 1970

दलेर मेंहदी
18 अगस्त 1967

स्व०राजीव गांधी
20 अगस्त 1944

रणदीप हुड्डा
20 अगस्त 1976

चिरंजिवी
22 अगस्त 1955

मधुर भंडारकर
26 अगस्त 1966

मेनका गांधी
26 अगस्त 1956

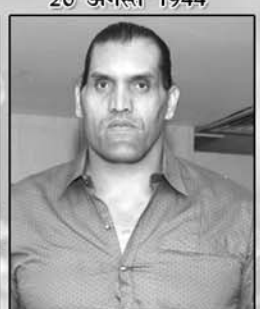
दिलीप सिंह खली
27 अगस्त 1972

अक्केनी नार्गाजुन
29 अगस्त 1959

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट www.kewalsachtimes.com के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

लोकतंत्र के स्तंभों में लग गया दीमक

लोकतंत्र के चारो स्तंभ व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना ईमान बेच चुके हैं और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन संक्रमित होकर करते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता लोकतंत्र के पिलर को दीमक की तरह चाट रहा है का आरोप लगने लगा है और आवाम का भरोसा इस तंत्र से उठने लगा है। लोकतंत्र के स्तंभों में इतने दलाल प्रवेश कर चुके हैं कि खुद लोकतंत्र के प्रहरी को भी अपने स्तंभों पर विश्वास नहीं है। न्यायालय में न्याय बिकने लगा है की बात खुद न्यायाधीश कहते नहीं थकते वहीं कार्यपालिका की स्थिति से सीबीआई और ईडी ने परिचित करा दिया है और विधायिका के खेल से पर्दा कई दशकों पहले से हीं उठता रहा है और जिसके जिम्मे सबके अच्छे-बुरे कार्यों को उजागर करने की जिम्मेवारी है वह पीली पत्रकारिता के लिए मशहूर हो चुका है। लोकतंत्र का पिलर में दीमक लग चुका है और सभी पाये के पहरेदार उसकी सुरक्षा करने के बजाय उसकी कब्र खोदने में मशगूल हो चुका है। विश्वास भी अब किसी पर विश्वास नहीं करता है। लगभग डेढ़ अरब वाला धर्मनिरपेक्ष भारत भले ही विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान रखता हो परंतु आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश मे गरीबी, भुखमरी की कहानी सभी स्तंभों के अनैतिक कार्यों से कराह रहा है और जनता कहां जाए? किसे पास जाए? अहम सवाल बनकर लोकतंत्र को संक्रमित करता है। वक्त रहते इसपर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम गुलामी की ओर बढ़ चले हैं।

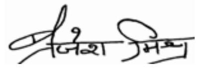

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

लोकतंत्र के चारो खम्भे में दीमक लग चुका है और प्रत्येक खम्भा खुद को सुरक्षित एवं बेदाग मानता है लेकिन सच इसके ठीक विपरीत हो चुका है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, अनुशासन, विकास, रोजगार, सुरक्षा और न्याय को संचालित करने वाला लोकतंत्र के स्तंभ अपने-अपने स्तंभ के साथ न सिर्फ सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दीमक की तरह चाट रहे हैं। न्यायालय में न्याय बिकता है यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश बयान दे चुके हैं, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका का यह हाल है कि देशवासियों को इसपर से विश्वास उठता जा रहा है लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी यहाँ दिख रहा है। कार्यपालिका की स्थिति बहुत ही दयनीय एवं शर्मनाक जिसके कारण से सरकार की योजना धरातल पर पहुंचते - पहुंचते बर्फ की तरह पिघल जाती है और बर्फ पानी बनकर आवाम तक पहुंचता है। IAS और IPS और राज्य सेवा के अधिकारी जिस प्रकार अपनी महत्वकांक्षा पूर्ण करने के लिए L1 का खेल और योजनाओं को किसी संवेदक को देने सहित स्थानांतरण, प्रमोशन, प्रपत्र 'क' सहित मलाईदार पोस्टिंग में व्यापक पैमाने पर अकूट संपत्ति अर्जित करते हैं जो कभी कभार निगरानी, सीबीआई और ईडी के हत्थे चढ़ते हैं। लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली स्तम्भ में भी घुन लग चुका है जबकि इस पद पर आने के लिए युवा कठोर परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और जनता की बीच इनकी ख्याति भी सुर्खियों में है परंतु लालच के कारण देश स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण थू-थू हो रहा है। हाल में ही पटना उच्च न्यायालय में कई IAS को न्यायाधीश ने फटकार भी लगाया है तो झारखंड की IAS पूजा सिंघल के घर से करोड़ो रुपये निकले। ऐसे हजारों उदाहरण है जिससे लोकतंत्र का दूसरा मजबूत स्तंभ को कलंकित और दीमक की तरह चाटा जा रहा है। लोकतंत्र का बचाने एवं इसके विस्तार और दीर्घायु बनाने वाले स्तंभ विधायिका की स्थिति तो नारकीय और अत्यंत चिंताजनक है। राजतंत्र से बेहतर विकास एवं सबकी सोच और सर्वजन हित मे लोकतंत्र का गठन हुआ और देश अमृत महोत्सव पर कार्य कर रहा है। विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में विधायिका वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद, अपराधवाद, पूंजीवाद और अब तो यह रेवड़ीवाद के गिरफ्त में है और यही कारण है कि अनपढ़ व अपराधी भी सांसद, विधायक और पार्षद बन जाता है और कानून मंत्री भी लेकिन सच से भारत का मतदाता परिचित है लेकिन लोक-लुभावन रेवड़ी के चक्कर में ढुलमुल निर्णय के कारण देश के भीतर जोड़-तोड़ वाली सरकार बनती है, जिसकी वजह से सरकार बनाने एवं बनाये रखने के लिए उनको करोड़ो रूपये की सौगात दी जाती है। बलात्कारी, खूनी दरिंदा, डकैत, चोर, अपहरण करने वाले जनप्रतिनिधि बनकर आवाम के लिए कानून बनाते हैं और जिसकी वजह से आज राजनीति सेवा के बजाय राजनीतिक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है और राज्यसभा एवं विधान पार्षद का पद खरीदने की चर्चा भी बाजार में है। सायकिल से चलने वाला नेता जी करोड़ो की संपत्ति अर्जित कर लेता है और सरकारी खजाने को लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। आपदा की स्थिति में भी लूटने का दौर बदस्तूर जारी रहता है। बाढ़ हो या सुखाड़ या फिर कोरोना वायरस जैसा आपदा में भी विधायिका ने कार्यपालिका के साथ मिलीभगत करके गरीबो की संपत्ति को जमकर लुटा है। चारा, सृजन, व्यापमं, कोलगेट, टूजी स्पेक्ट्रम, बोफोर्स जैसे हजारों घोटाले देश एवं विभिन्न प्रदेशों में हुए हैं लोकतंत का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो सीधे आवाम से सरोकार रखता है वह भी अपने स्तंभ का कब्र खोदने में लगा हुआ है जिसकी वजह से लोकतंत्र में से लोक गायब होने लगे हैं और तंत्र सिर्फ कुर्सी बचाने में मशगूल है। लोकतंत्र के यह तीनों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के क्रिया-कलापों पर पैनी नजर रखने वाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता भी अब पीली पत्रकारिता के दाग से दागदार हो रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की स्थिति भी लालच और चाटूकारिता की वजह यह स्तंभ समाज में सोसल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण अपना अस्तित्व को बचाने की नाकाम कोशिश में है। मीडिया स्वतंत्र होकर कार्य करती है कि वजह से जनमानस सहित लोकतंत्र के सभी स्तंभों में भी इनकी मजबूत पहचान थी लेकिन विगत दशकों में मीडिया का स्वरूप स्वतंत्र रहने के बजाय राजनीतिक दल, कारपोरेट व्यवसाय सहित कई घोटाले में भी शामिल होकर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी दागदार हो चुका है। लगभग डेढ़ अरब वाला धर्मनिरपेक्ष भारत भले ही विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान रखता हो परंतु आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश मे गरीबी, भुखमरी की कहानी सभी स्तंभों के अनैतिक कार्यों से कराह रहा है और जनता कहां जाए? किसे पास जाए? अहम सवाल बनकर लोकतंत्र को संक्रमित करता है। सविधान की दुहाई देकर राजनीति करने वाले देश के भीतर जातिवाद का ऐसा जहर घोल चुके हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र से लोगों का भी विश्वास उठने लगा है। भारत को विश्वगुरू बनाने का सपना देखने वाले दलों को देश के भीतर लोकतंत्र के दो स्तंभों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आजादी मिलनी चाहिए अन्यथा चारो स्तंभ मिलकर देश की व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहे हैं और खोखला कर चुके हैं। न्यायपालिका और पत्रकारिता को सबसे अधिक जिम्मेवारी लेनी होगी और सरकार को इनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की खुली छूट देनी होगी और लोकतंत्र के सभी स्तंभों को अपने दायित्व का निर्वहन बगैर किसी भेदभाव का करना चाहिए जिससे आवाम को उसकी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 12, अंकः- 134 माहः- अगस्त 2022 रू. 10/-

Editor in chief

Brajesh Mishra 09431073769
09955077308
08340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 09308815605, 09122003000

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Reeta Singh 9308729879
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 08873004350
S. N. Giri 09308454485

Asst. Editor

Sashi Ranjan Singh 09431253179
Rajeev Kumar Shukla 07488290565

Sub. Editor

Brajesh Sahay 07488696914

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 07762089203

Bureau

Sridhar Pandey 09852168763

Photographer

Mukesh Kumar 0 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 09868700991

झारखण्ड हेड
ब्रजेश मिश्र (2) 07979769647
07654122344

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 09433567880
09339740757

मध्यप्रदेश हेड
अभिषेक पाठक 08109932505,
08269322711

छत्तीसगढ़ हेड
आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड
निर्भय कुमार मिश्रा 09452127278

उत्तराखण्ड हेड
आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड
आवश्यकता है

गुजरात हेड
आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

पंजाब हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

उड़ीसा हेड
आवश्यकता है

आसाम हेड
आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
97 ए, डी डी ए फ्लैट
गुलाबी बाग, नई दिल्ली- 110007
मो०- 09868700991, 09431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स, द्विभाषीय पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 09433567880, 09339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार मिश्र
महुआ टोली, गाड़ीगांव
होटवार, खेलगांव, राँची- 834012

मो०- 8789679740,
9431073769

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

जुलाई 2022

घोटाले का बाप

मिश्रा जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूँ और पत्रिका के सभी खबरों को अवश्य पढ़ता हूँ। जुलाई 2022 अंक में बंगाल एसएससी घोटाला की पूरी सच्चाई पत्रकार अमित कुमार और प्रदीप कुमार सिन्हा ने घोटाले का बाप खबर में लिखा है।किस प्रकार शिक्षक बहाली में अवैध वसूली करके पार्थ चटर्जी सहित कई चेहरे अब सामने आने लगा है। अर्पिता चटर्जी के पास करोड़ो - करोड़ रुपये निकल रहे हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी की सरकार की भी किरकिरी हो रही है। आपकी पत्रिका ने इस खबर को काफी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया।

● **प्रमोद बनर्जी, बाबू बाजार, कोलकाता**

भारत बदल रहा है

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम पत्रिका का संपादकीय भी बहुत दमदार और तथ्यों की सटीक समीक्षा के साथ लिखा जा रहा है। आपका संपादकीय ही पत्रिका की जान है क्योंकि आप इतना भावनात्मक लिखते है। जुलाई 2022 अंक का संपादकीय सच में भारत बदल रहा है में भारत की राजनीति और व्यवस्था पर बहुत ही कटाक्षपूर्ण खबर पाठको के बीच रखा है। सीए, एनआरसी और कई मुद्दे सहित सड़क का नाम, स्टेशन का नाम तक बदल रहा है के विषय को बहुत बारीकी से समझाया गया है। आपका संपादकीय दिल को झकझोर देता है क्योंकि स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है।

● **भुवनेश्वर दयाल, अस्सी घाट, बनारस**

एक पर एक

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के जुलाई 2022 के अंक में कई खबरे काफी चिंताजनक लगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन अशोभनीय टिप्पणी वाली खबर को काफी प्रमाण के साथ प्रकाशित किया है। दिल्ली की आप की सरकार ने आबकारी नीति 2022-2023 बनाकर दिल्ली की जनता को शराब से हों रहे नुकसान से मुक्ति दिलाने के प्रयोग कर रही है कि खबर काफी रोचक लगा कि आखिरकार मनीष सिसोदिया जी को इस प्रकार का प्रयोग की क्या आवश्यकता आन पड़ी। लूटो इंडिया डॉट कॉम वाली खबर भी काफी जानकारीप्रद है तो बिक्रम बत्रा की खबर भी सटीक व पठनीय लगा। कई खबरे छोटी पर एक पर एक है।

● **विश्वजीत सिंह, घंटा घर, तिहाड़, नई दिल्ली**

मुकाबला

संपादक महोदय,

भारत में राजनीति भी एक बड़ा व्यापार बन चुका है जिसमे राजनेता और वोटर अपनी चतुराई का सदैव परिचय देते हैं। जुलाई 2022 के केवल सच टाइम्स पत्रिका में मध्यप्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की शंखनाद बज चुके हैं जिसकी समीक्षा नगरीय चुनाव के नतीजे को लेकर किये जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है और इसबार जनता किसी भी दल को स्पष्ट जनमत देने का मन बना रही है। बहुत सटीक समीक्षा इस खबर में दिया हुआ है कि मध्यप्रदेश जे चुनाव में जनता का मिजाज कैसा रहेगा, लेकिन अभी वक्त है मिजाज बदलने के लिए। सटीक खबर।

● **कौशल राम, रेलवे क्वॉटर, भोपालए मध्यपदेश**

योगी मॉडल

मिश्रा जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका बिना किसी लाग लपेट के खबरों को पाठको के बीच रखता है। जुलाई 2022 अंक में योगी मॉडल से प्रभावित बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्री खबर में बाबा के बुलडोजर का जलवा कई राज्यो में दिखा रहा है। अपराधियों एवं माफियाओं पर बुलडोजर योजना काफी प्रभावकारी बनता जा रहा है कि बिना विलंब किये ही घटना के बाद बाबा का बुलडोजर चलने लगेगा। बुलडोजर की शक्ति की वजह से 2022 का यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ नाथ अपने चेहरे पर जितने में कामयाब रहे और भाजपा यही चाहती है कि राज्यों के मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी के जीत के लिए ज्यादा जरूरी है। बढिया खबर है।

● **साहेब पाण्डेय, शिवहर बाजार, शिवहर**

योजना

ब्रजेश जी,

ललन सिंह की खबर अग्निपथ वास्तव में देशवासियों के आंख खोलता खबर है कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना सेना के लिए कितना जरूरी है। जुलाई अंक 2022 का यह सबसे बेहतरीन खबर है जिसमे देश के जलने के कारण से लेकर इसको बचाने के उपाय तक इस खबर में बड़ी गंभीरता के साथ लिखा गया है।जिस प्रकार जून के महीने में डेढ़ एक सप्ताह तक जलता रहा शायद यह आजादी के बाद दूसरी घटना है जिसमे 10 दिन यातायात लगभग ठप्प रहा है। सेना में बहाली में अग्निपथ योजना से ज्यादा इसमें राजनीति की गई जिसकी वजह से देश को जलने पर मजबूर होना पड़ा। खबर पढ़ने के बाद युवाओं पर रोना आता है

● **महेन्द्र प्रसाद, मछुआटोली, पटना**

अन्दर के पन्नों में

Pakistan Colonel gave me.....41

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C

08877663300

देवब्रत्त कुमार गणेश

मुख्य संरक्षक सह भावी प्रत्याशी, 53 ठाकुरगंज विधानसभा

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "

8986196502/9304877184

devbartkumar15@gmail.com

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☛ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग,पटना-800020(बिहार)

e-mail:- kewalsach@gmail.com,
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☛ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**

☛ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☛ सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☛ आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☛ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 20001817444
BANK :- State Bank Of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

सिसोदिया जायेंगे जेल?

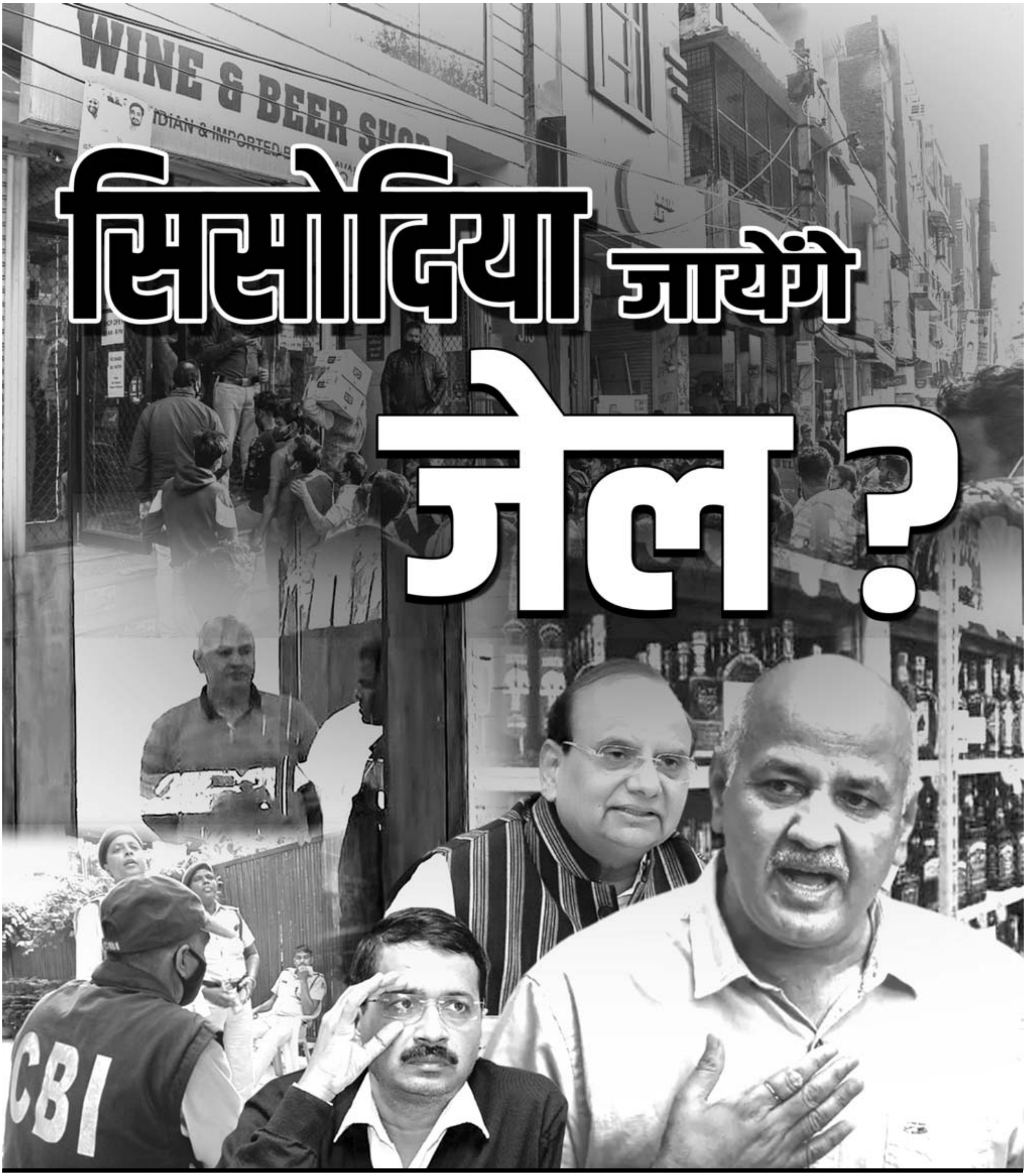

● अमित कुमार

दिल्ली की नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा। इस छापेमारी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली का शराब नीति घोटाला क्या है? दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर बवाल जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत देशभर में 20 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। आरोप है कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ किए जाने से सरकार को करीब 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की है। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। हालांकि 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नई नीति बनाने में नियमों और प्रक्रियाओं

को ताख पर रख दिया गया। नीति लागू कराने के लिए आबकारी मंत्री को कई अधिकार दे दिए गए। 21 मई को कैबिनेट मीटिंग में फैसला वापस लिया गया, लेकिन बावजूद आबकारी विभाग मनमाने तरीके से फैसलों को लागू करता रहा। आरोप है नई नीति से कुछ बड़े प्लेयर्स अपने स्टोर्स पर भारी डिस्काउंट और ऑफर्स देने लगे, जिससे शराब के कई छोटे वेंडर्स ने दुकानें बंद कर दी। आरोप है कि सरकार ने एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी। लेकिन नई आबकारी नीति है क्या और किन मुद्दों पर इतना हंगामा मचा है?

दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में लागू हुई थी। नई नीति के तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। बताया जा रहा है कि इनमें करीब 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी। खबर के मुताबिक कुल 849 में से करीब 650 दुकानें खुल गई। अब तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी प्राइवेट हाथों में थीं, लेकिन नई नीति के बाद 100 फीसदी दुकाने प्राइवेट हाथों में चली गई थीं। वही राजधानी में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। शराब की दुकानों की दूरियां कम कर दी गई। कई जगहों पर 24 घंटे शराब की बिक्री को मंजूरी मिली थी। साथ ही छत समेत किसी भी जगह शराब परोसने को मंजूरी मिल गई। बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खोलने कई इजाजत दे दी गई। दुकानों में एंट्री और एक्जिट गेट अलग थे। दुकानें, मार्केट रेट के मुताबिक कीमत तय कर रही थीं। नई नीति के तहत शराब की होम डिलिवरी होने लगी। इसी को लेकर विपक्ष ने इसपर जमकर निशाना साधा और उपमुख्यमंत्री सह अबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया मुश्किलों में घिर गये हैं।

बता दें कि सीबीआई ने उप मुख्य्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के लिए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की जांच को आधार बनाया। कुमार ने जुलाई में जांच के बाद पाया था कि आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। शराब लाइसेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को ताख पर रख दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस बात के तगड़े सबूत थे कि टॉप पॉलिटिकल लेवल पर एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले वाला हाल था। सूत्रों के मुताबिक, सिसोदिया ने खुद नियमों को ताख पर रखकर बड़े-बड़े फैसले लिए और करवाए। नरेश कुमार ने अपनी जांच में जो आरोप लगाए थे, उनमें से कुछ सीबीआई की एफआईआर में भी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के आदेश पर हुई एक और जांच में पता चला कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मंत्री के कहने पर अवैध आदेश जारी किए। 8 जुलाई, 2022 को नरेश कुमार ने जो पहली रिपोर्ट सौंपी, उसमें आबकारी नीति लागू करने में हुई सात प्रक्रियागत खामियों का जिक्र था, जो इस प्रकार है :-

☞ मनीष सिसोदिया के निर्देश पर एक्साइज विभाग ने एयरपोर्ट जोन के एल-1 बिडर को 30 करोड़

रुपये रिफंड करने का निर्णय लिया। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटीज से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन बिडर को वह पैसा लौटा दिया गया।

☞ सक्षम अथॉरिटीज से मंजूरी लिए बिना एक्साइज विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया और बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ।

☞ टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, जबकि लाइसेंस फी, ब्याज और पेनाल्टी न चुकाने पर एक्शन होना चाहिए था।

☞ सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोविड काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं था।

☞ सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई पॉलिसी के तहत हर वॉर्ड में शराब की कम से कम दो दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने सक्षम अथॉरिटीज से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वॉर्डो के बजाय कन्फर्मिंग वॉर्डो में लाइसेंसधारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी।

☞ सोशल मीडिया, बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियमों, 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है।

☞ लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंसधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल पीरियड पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए सक्षम अथॉरिटी यानी कैबिनेट और एलजी से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में आनन-फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैरकानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51 पर्सेंट कम रेवेन्यू मिला।

यह सात खामियां ही सीबीआई के लिए सिसोदिया पर छापेमारी का आधार बनीं। वही आरोपों पर दिल्ली सरकार का तर्क है कि नई एक्साइज पॉलिसी का मकसद शराब के वितरण की व्यवस्था में अनियमितताओं को खत्म करके एक समान वितरण व्यवस्था लागू करने का था। अवैध शराब माफिया और भ्रष्टाचार को खत्म करके नई एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से एक साल के अंदर डेढ़ गुना ज्यादा एक्साइज रेवेन्यू हासिल करने का मकसद था। बीजेपी ने सीबीआई, ईडी व अन्य एजेंसियों का डर दिखाकर दिल्ली में वैध तरीके से खोली जा रही शराब की दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया, ताकि गुजरात की तरह दिल्ली में भी नकली शराब की बिक्री का धंधा जारी रहे। बीजेपी दुकानदारों को डरा- धमकाकर उन पर अपने लाइसेंस सरेंडर करने के लिए दबाव बना रही है, जिसके चलते शराब की दुकानों की संख्या कम हो गई। अधिकारियों को भी इतना डरा दिया

गया है कि वो खाली हुई दुकानों की जगह नई दुकानें खुलवाने के लिए टेंडर करने में डर रहे हैं। नई पॉलिसी में शराब की एक भी दुकान बढ़ाई नहीं गई थी। पहले की तरह 849 दुकानें ही खोली जा रही थीं, लेकिन दुकानों के वितरण की व्यवस्था को ठीक किया गया, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर तो कई सारी दुकानें खुल जाएं और कहीं पर एक भी दुकान ना हो। पुरानी पॉलिसी से सरकार को सालाना 6 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलता था, नई पॉलिसी से एक साल में रेवेन्यू डेढ़ गुना बढ़ जाता और सरकार को सालाना 9500 करोड़ रुपये मिलते। कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्व उप-राज्यपाल ने नई पॉलिसी के तहत शराब की नई दुकानें खुलने से 48 घंटे पहले नीति बदल दी, जिससे कई सारी दुकानें नहीं खुल पाईं और सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। पुरानी पॉलिसी के तहत भी एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) की मंजूरी से अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोली जाती रही हैं। उसी को देखते हुए नई पॉलिसी में भी इन इलाकों में दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर एलजी ने यूटर्न ले लिया।

सीबीआई ने आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों से संबंधित आईपीसी की धाराओं में सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें :-

☞ मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री

☞ अरवा गोपी कृष्णा, पूर्व एक्साइज कमिश्नर

☞ आनंद तिवारी, पूर्व एक्साइज डिप्टी कमिश्नर

☞ पंकज भटनागर, पूर्व असिटेंट एक्साइज कमिश्नर

☞ विजय नैयर, Only Much Louder कंपनी का पूर्व सीओ

☞ मनोज राय, Pernod Ricard कंपनी का पूर्व कमर्चारी

☞ अमनदीप ढ़ल Brindco Spirits के मालिक

☞ समीर महेंद्रू Indospirit के मालिक

☞ अमित अरोड़ा, डायरेक्टर, बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड

☞ दिनेश अरोड़ा, गुजरावाला टाउन, दिल्ली

☞ एम.एस. महादेव लिकर, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली

☞ सन्नी मारवाह, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, महादेव लिकर

☞ अरुण रामचंद्र पिल्लै, बेंग्लुरु,

<u>Name of the accused persons in RC0032022A0053 dated 17.08.2022</u>

1. Shri Manish Sisodia, Deputy Chief Minister, GNCTD of Delhi.
2. Shri Arva Gopi Krishna, the then Commissioner (Excise), GNCTD of Delhi
3. Shri Anand Tiwari, the then Deputy Commissioner (Excise), GNCTD Of Delhi
4. Shri Pankaj Bhatnagar, Assistant Commissioner (Excise), GNCTD of Delhi.
5. Shri Vijay Nair, former CEO, M/s Only Much Louder, an entertainment and event management company, 38th Floor, 3801, Tower No.-4, Cresent Bay, Jerbai, Wadia Road, Parel, Mumbai East-400012
6. Shri Manoj Rai, Ex Employee of M/s. Pernod Ricard, Flat No. 1003, Omaxe Heights, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.
7. Shri Amandeep Dhal, Director, M/s Brindco Sales Pvt. Ltd., E-38, Kalindi Colony, Opposite Maharani Bagh, New Delhi-65.
8. Sh Sameer Mahendru, Managing Director, Indospirit Group, 207, Jor Bagh, Delhi.
9. Sh Amit Arora, Director, M/s Buddy Retail Private Limited, D-240, III Floor, Defence Colony, New Delhi. .
10. M/s Buddy Retail Private Limited, 1402, Tower-15, Vipul Greens, Gurgaon, Phase-I, Delhi.
11. Sh Dinesh Arora, Plot No.-139, III Floor, Block-A, Gujrawala Town, Phase-I, Delhi 110009.
12. M/s Mahadev Liqours, B-303, Okhla, Industrial Area, Phase-I, Delhi-110020.
13. Sh. Sunny Marwah, Authorised Signatory, M/s Mahadev Liquors R/o E-38, Ist Floor, Kalkaji, New Delhi, South East Delhi, Delhi-19.
14. Sh Arun Ramchandra Pillai, 10 Vaishnavi Orchids Sarjapur Road, Behind Salarpuria Sancity Kasavanahalli carmeleram, Bangalore-Karnataka-560035, permanent resident of Villa No.16, Survey 145, Eden Gardens, Sushee Realty, Kokapet, City, Anantypur, Telengana- 500075.
15. Sh Arjun Pandey, 87, National Media Centre, DLF, Phase-III, Gurgaon.
16. Other unknown public servants and private persons.

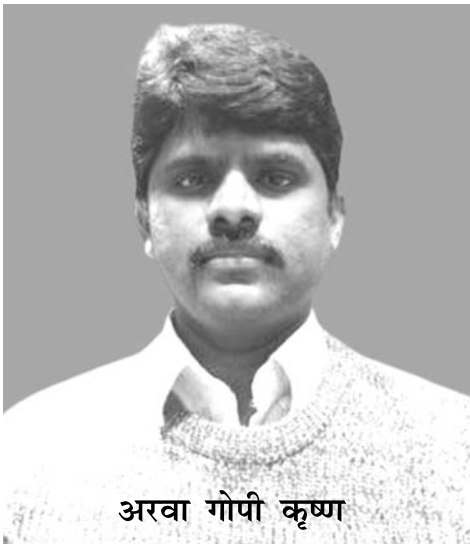
अरवा गोपी कृष्णा

मनीष सिसोदिया

आनंद तिवारी

कर्नाटक

☞ अर्जुन पांडेय, गुरुग्राम, डीएलएफ

ये सभी आरोपी आईपीसी की धारा 120 बी, 477 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत इन पर केस दर्ज किया गया है और इसकी जांच सीबीआई के ऑफिसर आलोक कुमार शाही, डीएसपी, एसीबी, सीबीआई को दी गई है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि सिसोदिया के एक सहयोगी द्वारा संचालित कंपनी को एक शराब कारोबारी ने कथित तौर पर एक करोड़ रुपये का भुगतान किया। सीबीआई ने सिसोदिया के सरकारी आवास, ऑफिस और 7 राज्यों के 31 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई को आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रेकॉर्ड मिले हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया और अन्य आरोपी अधिकारी ने टेंडर के बाद लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित सिफारिश की और निर्णय लिया।

वी.के. सक्सेना

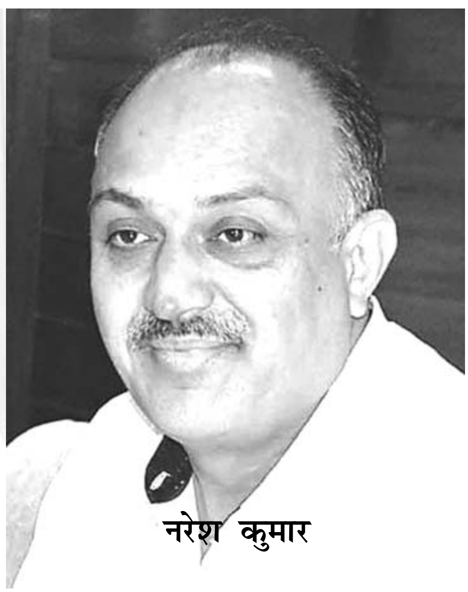
नरेश कुमार

इस रिपोर्ट के आधार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पाया कि एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते मनीष सिसोदिया ने ऐसे फैसले लिए, जिससे वित्तीय गड़बड़ियां हुईं। उन पर एक्साइज पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया था कि सिसोदिया ने कथित तौर पर टेंडर दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया के आदेश पर एक्साइज पॉलिसी के जरिए कोरोना के बहाने शराब ठेकेदारों के 144.36 करोड़ रुपये माफ किए गए, इससे शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचा। इसके लिए कोरोना का बहाना बनाया गया।

आरोप है कि इस छूट के लिए कैबिनेट को लूप में नहीं रखा गया, बल्कि मंत्री स्तर पर ही फैसला ले लिया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट जोन में L1 लाइसेंसधारी को 30 करोड़ रुपये वापस कर दिए थे, क्योंकि उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली थी। जबकि, ये रकम जब्त की जानी थी। इसके अलावा विदेशों से आने वाली बीयर पर 50 रुपये प्रति केस के हिसाब से रकम ली जाती थी। इस फैसले को भी बिना किसी मंजूरी के वापस ले लिया गया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। इतना ही नहीं, आरोप ये भी हैं कि L-Z और L1 लाइसेंसधारियों का लाइसेंस पहले 1 अप्रैल से 31 मई और फिर 1 जून से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया और इसके लिए एलजी की मंजूरी भी नहीं ली गई। वही सीबीआई की रेड को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच और रेड हुई, कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर दिल्ली के 'शिक्षा मॉडल' की तारीफ करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है। यह भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन उसी दिन केंद्र ने मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई भेज दी। ये इसे रोकना चाहते हैं इसीलिए रेड और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि 'सीबीआई को हम अपना काम करने दें। सीबीआई को ऊपर से आदेश है कि इनको तंग करना है। आदेश है कि अड़चनें अड़ाओ। अड़चनें आएंगी, पर काम नहीं रुकेगा।' वही दूसरी ओर मनीष

सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि 'सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है, उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर-1 नहीं बन पाया।' अन्य ट्वीट्स में सिसोदिया ने कहा कि 'हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। हम दोनों के ऊपर झूंठे आरोप हैं। कोर्ट में सच सामने आ जाएगा'।

हालांकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। सीबीआई ने सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर छापेमारी भी की थी। अब इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री भी होने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी और दस्तावेज एजेंसी से साझा कर दिए हैं। वही बीजेपी ने एक्साइज पॉलिसी में हुई कथित गड़बड़ी को घोटाला बताया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इन सबसे डरने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसे शिगूफा यानी झूठ बताया। सीबीआई ने सिसोदिया के घर और कुछ सरकारी अफसरों के यहां छापेमारी की थी। 15 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया है। इसके अलावा 8 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। यानी, ये लोग अब देश छोड़कर नहीं जा सकते। सिसोदिया के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई मुख्य सचिव की उस रिपोर्ट पर हो रही है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया है। ये रिपोर्ट दो महीने पहले एलजी वीके सक्सेना को सौंपी गई थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था।

गौरतलब हो कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 की जो नई एक्साइज नीति लागू करवाई थी, इस मामले में गड़बड़ियों की शिकायतों को लेकर एमएचए के डायरेक्टर प्रवीण कुमार राय ने सीबीआई से इस मामले की तफ्तीश करने के आदेश जारी किए। जांच के आदेश के साथ मौजूदा एलजी विनय कुमार सक्सेना का एक पत्र भी अटैच किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार की ओर से 2021-22 की एक्साइज (आबकारी) की नई नीतियों को अप्लाई करने के मामले में गड़बड़ियों का जिक्र था। बता दें कि पत्र में दिल्ली के मौजूदा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, एक्साइज विभाग के तत्कालीन कमिश्नर अरवा गोपी कृष्णा, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज आनंद तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर पंकज भटनागर ने एक्साइज की ये नई पॉलिसी की सिफारिश की और बिना कन्सर्न अथॉरिटी की परमिशन लिए साल 2021-22 में ये पॉलिसी अप्लाई करवाई, जिसका मकसद लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था। वही सूत्रों से सीबीआई को ये जानकारी मिली कि ओनली मच लाउडर, जो कि एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके

पूर्व सीओ विजय नायर, Pernod Ricard कंपनी के पूर्व कमर्चारी मनोज राय, Brindco Spirits के मालिक अमनदीप ढल, Indospirit के मालिक समीर महेंद्रू 2021-22 की नई एक्साइज पॉलिसी बनाते हुए उसमें गड़बड़ी करने और इस पॉलिसी को लागू करने में इनका अहम रोल है। सीबीआई को अपने सोर्सेस से जानकारी मिली कि L1 लाइसेंस होल्डर्स, रिटेल वेंडर्स को क्रेडिट नोट्स जारी कर रहे हैं, जिसका मकसद सरकारी अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिए फंड्स डायवर्ट करना था, इसके बदले में ये अकाउंट्स में फर्जी एंट्री कर अपना रिकॉर्ड ठीक दिखा रहे थे। आरोपी अमित अरोड़ा मेसर्स buddy रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी हैं, सभी गलत तरीके से एक्साइज अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर शराब के लाइसेंस अलग-अलग कंपनियों को दिलवा रहे हैं। वही आरोपी समीर महेंद्रू जो कि मेसर्स इंडोस्प्रिट्स के एमडी हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपये मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। राधा इंडस्ट्री मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा की है। वहीं, दिनेश अरोड़ा जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी हैं, यानी शक है कि दिनेश के जरिए लाभ मनीष सिसोदिया तक पहुंचा। एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई गलत तरीके से पैसा इकट्ठा कर पब्लिक सर्वेंट यानी एक्साइज अधिकारियों को पहुंचाया करता था, विजय नायर नाम के एक शख्स के जरिए। अर्जुन पांडे ने एक बार तकरीबन 2 से 4 करोड़ रुपये इंडोस्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रू से विजय नायर के जरिए लिए भी थे। विजय नायर इन लोकसेवकों (एक्साइज अधिकारी) का मीडिएटर और करीबी बताया जाता है। एफआईआर के मुताबिक, महादेव लिकर्स को भी L1 लाइसेंस जारी

किया गया था। इस फर्म में सनी मारवा ऑथेराइज्ड सिग्नेटरी है। साथ ही सनी मारवा इसलिए भी अहम है, क्योंकि वो उन कंपनियों में भी डायरेक्टर के पद पर है, जो कि स्वर्गीय पोंटी चड्ढा से संबंधित है। बताया गया है कि सनी मारवा एक्साइज अधिकरियों के बेहद करीबी था और उन्हें गलत तरीके से अक्सर लाभ भी पहुंचाया करता था।

बहरहाल, दिल्ली शराब लाइसेंस घोटाले की जांच के दायरे में एक दर्जन से अधिक स्टैंडअप कॉमेडियन, हैदराबाद से जुड़े शराब के थोक और खुदरा व्यापारियों का एक ग्रुप और मुंबई के समान पते वाली कॉरपोरेट संस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा वैश्विक और घरेलू शराब निर्माताओं के कुछ सेवारत और पूर्व अधिकारी, सोशल मीडिया पर अति सक्रिय रहने वाले लोग, घुड़दौड़, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग की गतिविधियों में लगे व्यक्ति और कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी लेने के बाद 13 व्यक्तियों, दो कंपनियों और 'अन्य अज्ञात लोकसेवकों तथा निजी व्यक्तियों' के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय और संबंधित एजेंसियां किसी भी संभावित गलत काम का पड़ताल करने के लिए सीबीआई द्वारा नामित कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी कंपनियों के नेटवर्क से जुड़े मामलों की भी जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच ज्यादातर टूलकिट मॉड्यूल पर केंद्रित है, जिसका उपयोग दिल्ली में उदार शराब बिक्री नीति के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र बनाने के लिए किया जा सकता था। विभिन्न सरकारी विभागों और प्रवर्तन एजेंसियों में काम करने वाले ये अधिकारी चल रही जांच में सीधे तौर पर शामिल हैं। कुछ अधिकारियों ने स्वीकार किया कि जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नियमों के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं, जिनमें वित्तीय गड़बड़ी और कंपनी अधिनियम के तहत भौतिक जानकारी का खुलासा न करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य अधिनियमों के दायरे में आने वाली गलत सूचना के प्रसार जैसी चीजें शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, एक अन्य पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें शेयर और क्रिप्टोकरंसी में वित्तीय लेन-देन शामिल है। उनके अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग भी जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों द्वारा कहा गया कि कॉमेडियन, व्यापारियों, सोशल मीडिया पर अति सक्रिय रहने वाले और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों सहित कम से कम 50 व्यक्तियों की विदेश यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रेषण की भी जांच की जा रही है। इस सूची में हैदराबाद से संबद्ध विभिन्न व्यक्ति और कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। जांच में एक प्रमुख नाम जो सामने आया है, वह है विजय नायर और उन कंपनियों का एक तंत्र जिनसे वह जुड़े हैं। इनमें ओनली मच लाउडर, बैबलफिश और मदर्सवियर शामिल हैं।

गौरतलब हो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने में मामला दर्ज कर लिया है। कुछ दिनों पहले सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा था। नई शराब नीति में गड़बड़ी को लेकर सिसोदिया पर मामला दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक सीबीआई ने ईडी को दस्तावेज सौंपे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितता की जांच करने के लिए धनशोधन का मामला दर्ज किया है। इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं अन्य कथित रूप से शामिल हैं।

संघीय एजेंसी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं में अपना मामला दर्ज किया है। सीबीआई की प्राथमिकी में सिसोदिया और 14 अन्य नामजद हैं। सीबीआई ने 19 अगस्त को 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें सिसोदिया और आईएएस अधिकारी एवं दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण का घर भी शामिल था। ईडी इस बात की जांच करेगा कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और क्रियान्वयन में अनियमितताएं तो नहीं की गईं। यह नीति पिछले साल नवंबर में अमल में लाई गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नीति में कथित अनिमियतताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सरकार ने जुलाई में इस नीति को वापस ले लिया। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित किया है। सिसोदिया ने भी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की है। अधिकारियों ने कहा कि जुलाई में दी गई दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कामकाज के नियम 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाया गया है। सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान ईडी विश्लेषण करेगा कि क्या नीति-निर्माण में व्यक्ति और कंपनियां शामिल थीं और क्या संबंधित कंपनियों ने पीएमएलए की परिभाषा के तहत अपराध से संपत्ति हासिल की या नहीं और क्या अवैध या बेनामी संपत्ति बनाए जाने की कोई संभावना है। सूत्रों ने दावा किया कि आबकारी विभाग ने कोविड-19 के बहाने से लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की माफी दी है। उन्होंने कहा कि विभाग ने हवाईअड्डा क्षेत्र के लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस कर दी, क्योंकि वह हवाईअड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में नाकाम रहा। सूत्रों ने कहा कि यह दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 48(11)(बी) का घोर उल्लंघन था, जो स्पष्ट रूप से यह शर्त लगाता है कि सफल बोलीदाता को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर उसके द्वारा सभी जमा कराई गई राशि सरकार जब्त कर लेगी।

बिडम्बना है कि दिल्ली में शराब नीति को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी खुलकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दरअसल, नई आबकारी नीति में करीब 144 करोड़ घोटाले की जांच के लिए आज सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। सिसोदिया के साथ-साथ आबकारी नीति लागू करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। दिल्ली की शराब नीति को लेकर सीबीआई की इतनी बड़ी रेड शुरू होते ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एजुकेशन वाला चौप्टर पलटा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख को हवाला दिया। जिसे बीजेपी ने इसे विज्ञापन करार दिया। मतलब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंच गईं। शराब नीति पर सीबीआई की छापेमारी के साथ ही केजरीवाल सरकार ने विक्टिम कॉर्ड खेलने की पूरी कोशिश की। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे उस लेख का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली की शिक्षा नीति की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है, यही बात बीजेपी को हजम नहीं हो पा रही है। मोदी सरकार दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति की तारीफ नहीं देख पा रही है। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर

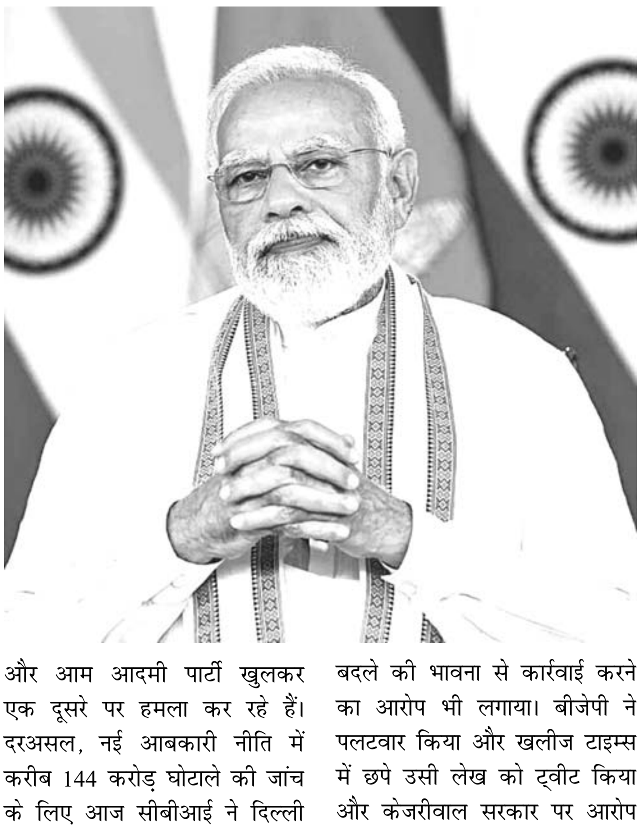

बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने पलटवार किया और खलीज टाइम्स में छपे उसी लेख को ट्वीट किया और केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि दोनों पेपर में एक जैसा लेख छपा है, ये लेख नहीं बल्कि विज्ञापन है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खालिस्तान समर्थक ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपवाया और केजरीवाल अपनी तारीफ करने के लिए खालिस्तान का समर्थन ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकारों को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार एक 'सीरियल किलर' की तरह बर्ताव कर रही है। सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में यह बात कही। सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दूसरों के अच्छे कामों को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। सिसोदिया ने विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूसरों के अच्छे कामों को देखकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। मैंने अपने जीवन में असुरक्षा की भावना से इतना अधिक पीड़ित कोई इंसान नहीं देखा। अगर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होते और मैं किसी और सरकार में शिक्षा मंत्री होता तो वे ऐसा कुछ नहीं करते। सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सभी अच्छी पहलों में प्रधानमंत्री का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमेशा इसके विपरीत किया। सीबीआई के अधिकारियों ने 14 घंटे की छापेमारी के दौरान उनके और यहां तक कि उनके बच्चों के कपड़ों की भी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ प्राथमिकी पूरी तरह फर्जी है। मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। राज्य सरकारों को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी सीरियल किलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। राज्य सरकारों को गिराने के लिए वे जितने प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वे प्रयास स्कूलों तथा अस्पतालों के निर्माण के लिए करने चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की आबकारी नीति 2021-22 का बचाव किया जिसे अब वापस ले लिया गया है। सिसोदिया ने सदन में कहा कि हमारी आबकारी नीति से लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ा, बल्कि सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई, फिर भी भाजपा इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है।

The gambling industry in Europe is a very lucrative one. There is a recent uptick in the number of well-known and long-established companies expanding their service offerings to include a wide range of lingua francas throughout the continent. It is not feasible for anyone to test-drive all of the European betting sites since the number of these sites is growing consistently with each passing day. If you are seeking great information about the finest sportsbooks headquartered in the EU to make your bets, you have come to the correct spot! We dove headfirst into the sea of information and surfaced with all you have to learn about European bookmakers.

☞ **The Way To Bet On European Betting Sites**

It's easy to make your first sports wager. You only want to follow a straightforward procedure to finish. In this section, we'll go through the steps you need to take to start sports betting in Europe. We take the following actions:

☞ **Select a bookmaker**

It would help if you located an EU sportsbook choice to use for your wagers. We suggest several bookmakers to European gamblers if you're looking for a trustworthy website to sign up and place bets on EU events.

☞ **Register & claim the bonus.**

New customers may get incentives at several betting websites in Europe. This is to make these gamblers feel as comfortable as possible so we can make more money from them in the future. You are encouraged to refer to the terms and, if you consider them to be interesting, to request the bonus.

☞ **Choose from the events you can bet on**

After making a deposit and getting your bonus, explore all of the open betting markets. Then, choose your preferred events and check the odds that are offered.

☞ **Place your bets**

After you have verified the odds, fill out the bet sheet with all of your

selections. After then, it's time to put your wagers and cross your fingers for a successful result!

☞ **Different Types Of European Betting Sites**

There are several distinct settings that you may find while browsing European betting sites. Understanding the various available betting sites will help you choose the one that is best for you.

☞ **Sportsbook**

On this page, we'll concentrate mostly on sportsbooks, the sort of European betting websites we'll discuss. Sports betting sites provide activity, and individuals should be concerned about bet online in Europe on safe sportsbooks. Several alternatives are not only enjoyable but safe on the European market due to the region's stringent regulations. In addition, European-based companies tend to emphasize prominent European games often ignored by international or American-based betting services.

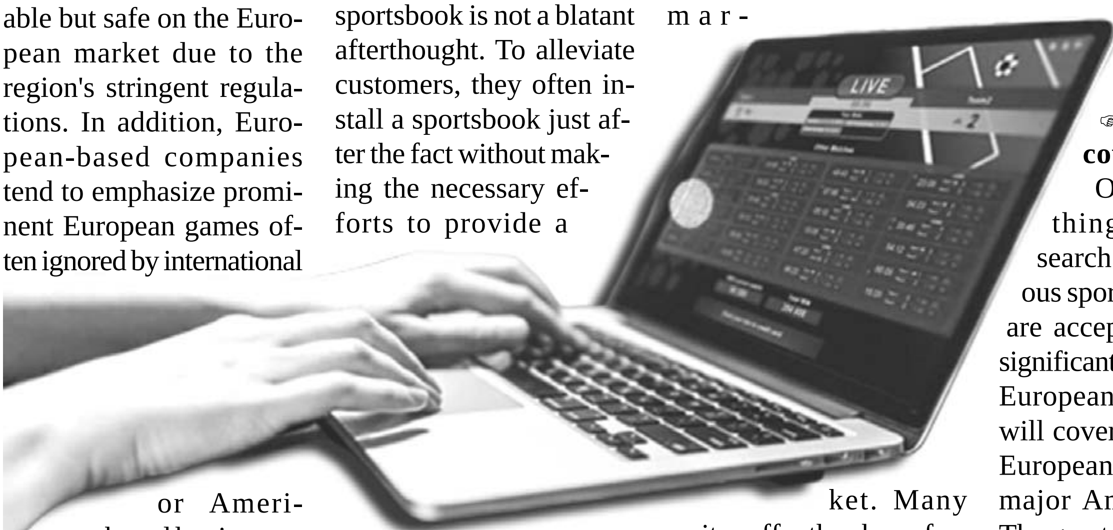

☞ **Casinos**

An online casino provides a venue where you may wager on your preferred games against the house. These include card games like blackjack, roulette, and craps. A lot of standalone casinos don't provide sports betting, but you may also find websites that make an effort to serve both markets. We are picky when sites do this, making sure the sportsbook is not a blatant afterthought. To alleviate customers, they often install a sportsbook just after the fact without making the necessary efforts to provide a high-quality sportsbook.

☞ **Racebook**

A racebook is an internet betting service that lets you wager on horse and canine races. Usually, they will be a part of a casino, sportsbook, or all-inclusive website, but now and then, you'll come across a racebook on its own.

☞ **Inclusive sites**

All-inclusive sites are the last type of site that caters to the European market. Many sites offer the above formats or more than one of them. This could be a sportsbook, a racebook, or a casino with both. When all-in-one sites are put together well, they're amazing.

☞ **How To Select a European Betting Site**

It would help if you considered several characteristics while searching for the best betting site in Europe for your usage. You are going to wish to look at both of the levels of criteria that are involved here.

☞ **Check the covered sports.**

One of the first things you should search for is the various sports on which bets are accepted. There is a significant likelihood that a European-based website will cover all of the main European sports and the major American sports. The greater the number of sports covered, the better. The only thing that counts is that they allow wagering on your favorite sports. If they have them covered, you won't care if they don't have some esoteric sport you don't care about. This is when the individual

choice comes into play.

☞ **Research about the offered bets**

Make sure they provide the bets you desire. Most European gambling sites provide all the main "popular" bets. Totals spread and money lines are examples. If you want to bet props, totals other than the score, teasers, or pleasers, be sure the betting website can handle your activity.

☞ **Check whether the site offers the bets you want to make.**

This is a major distinction between sportsbooks. You can bet without knowing what's on. Select an online sportsbook that provides activities on the sports you prefer. You may always explore other books for alternative sorts of bets.

☞ **Check for the mobile capabilities.**

One of the most appealing advantages of several European sportsbooks is the opportunity to place bets while traveling. You don't have to travel to the neighborhood bookmaker, and you don't even have to be at your home on your desktop computer to place a bet. If you have access to the internet, a mobile phone, or other internet-enabled smart devices, you may place bets straight from such devices using quality European betting websites.

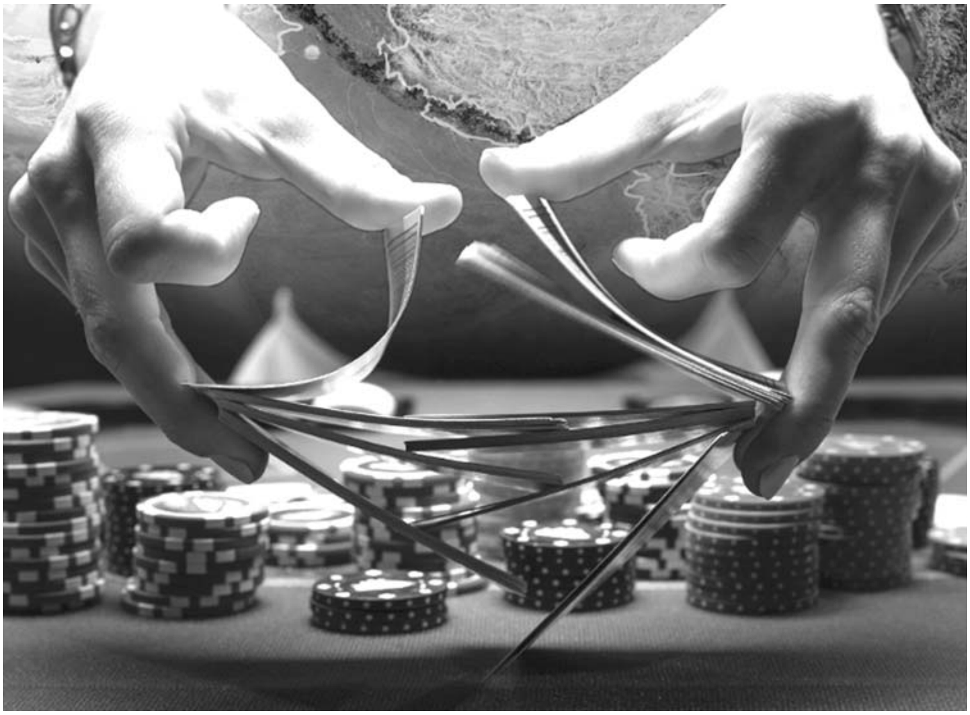

☞ **Legality Condition Of Online Betting In Europe**

The European Union is frequently regarded as a unified entity regarding economic undertakings. However, different nations have different regulations regarding sports betting. Sports betting fans are catered to by a sizable number of bookies in several nations around Europe. There is a push to legalize and regulate online gambling in India. However, EU members remain distinct and are free to enact their laws regarding the EGBA-regulated online bookies.

Euro gaming sites, for instance, are subject to governmental and municipal regulation in countries like Germany and Spain. The Dutch Gaming Authority oversees websites in the country. The Associations issue licenses to betting sites with headquarters in certain British overseas territories. The European Commission has recommended unifying regulating online gambling and promoting collaboration between member states to answer the need to reform Europe's patchwork of regulatory organizations and laws. It's crucial to remember that sportsbooks are exempt from licensing requirements. Many legitimate European gaming websites exist and run without a permit.

☞ **Is It Safe To Bet Online From Europe**

The short answer to this inquiry is "yes," but only if you place your wagers at the appropriate online gambling establishments. You don't have to get upset about visiting any of the websites we suggest since they're all trustworthy. While the vast majority of websites are secure, there are a few that we wouldn't feel comfortable entrusting with our financial information. You have to exercise extreme caution while selecting a location to make a deposit. Now you may have a good idea about what a deposit is, so you must ensure that you do all the essential research and that your chosen location has a good track record.

☞ **Conclusion**

In a word, Europe is where you will get the best and most intriguing bargains to satisfy all your sports betting requirements. Things that are required of you is to choose which kind of sports appeal to you and then click on one of their websites. They prioritize maintaining integrity while also working to enhance players' overall gambling experiences.

मध्यप्रदेश भाजपा में खेमे, लेकिन शिवराज को डिगाना आसान नहीं!

● अरविन्द तिवारी

भाजपा के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रवानगी से मध्यप्रदेश की भाजपा राजनीति के समीकरण भी गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। आने वाले दो महीने मध्यप्रदेश की भाजपा राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इस दरमियान कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। हालांकि पिछले 17 साल में कई बनते बिगड़ते समीकरणों को साध चुके शिवराज अभी भी आश्वस्त हैं। यह माना जा रहा है कि दिल्ली के नंबर वन और टू राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से भले ही केंद्रीय राजनीति को लेकर कुछ भी निर्णय ले लें, लेकिन मध्यप्रदेश में शिवराज को डिगाना इतना आसान नहीं है।

☞ **ये भाजपा और सिंधिया की भाजपा :-** मध्यप्रदेश की भाजपा इन दिनों साफतौर पर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। एक भाजपा और दूसरी सिंधिया की भाजपा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से जो विधायक मंत्री बने हैं और विधायक नहीं बनने के कारण जिन्हें निगम मंडल का अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बनाया गया है, उन पर इन दिनों भाजपा की निगाहें हैं। इस खेमे के मंत्रियों से जुड़े मामलों को सुनियोजित तरीके से संघ और दिल्ली दरबार तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ मंत्रियों का काम उनके विभाग में ऐसे अफसर तैनात कर टेढ़ा कर दिया गया है, जो मंत्रियों की सुनते ही नहीं। दिक्कत यह भी है कि विभागीय कामकाज के मामले में साफ-सुथरे रहने वाले सिंधिया के मंत्री प्रदेश में इससे ठीक उलट काम कर रहे हैं। इसको लेकर जितना कहा जाए कम है।

☞ **ऐसा मध्यप्रदेश में ही संभव है :-** ऐसा मध्यप्रदेश में ही संभव है। हजारों लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बने कारम डेम के घटिया निर्माण के दोषियों को सरकार अभी तक चिन्हित नहीं कर पाई है। सब कुछ रिकार्ड पर है, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने पहला काम उन लोगों को सम्मानित करने का किया, जिन्होंने बांध के एक बड़े हिस्से को काटकर पानी बहाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस कदम से डेम के आसपास की हजारों एकड़ जमीन में अब सिर्फ पत्थर ही बचे हैं। यह डेम अब साल-दो-साल तो किसी काम का नहीं रहेगा। बस इंतजार इस बात का है कि हजारों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कब सरकार का शिकंजा कसता है।

☞ **अब संगठन के निशाने पर हैं कई मंत्री, सांसद और विधायक :-** नगर निगम और जिला पंचायत के नतीजों के बाद कई मंत्री, सांसद, विधायक, निगम-मंडलों के पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के निशाने पर आ गए हैं। इनमें से ज्यादातर वे हैं जो अपने आपको बहुत तीसमारखां समझते हैं और संगठन से कोई लेना-देना नहीं रखते। अब जबकि इनकी चाबी संगठन के हाथ में आ गई है, ये शर्माद्वय के दरबार में लगातार दस्तक देने लगे हैं और यह बताने में लगे हैं कि उनके प्रभार के क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवार को जिताने में उन्होंने तो पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन स्थानीय लोगों की नाराजगी भारी पड़ गई।

☞ **नया मुख्य सचिव, दो दावेदारों के बीच तीसरा नाम भी :-** जैसे-जैसे मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आता जा रहा है, नए मुख्य सचिव को लेकर अटकलों का दौर भी तेज हो गया है। अभी तक तो घूम-फिरकर दो ही नाम सामने आ रहे थे, एक, पिछले 25 साल में बेहद ताकतवर नौकरशाह की पहचान बनाने वाले मोहम्मद सुलेमान और दूसरे बेहद लो-प्रोफाइल रहकर दिल्ली और भोपाल के प्रियपात्र बने अनुराग जैन। नेटवर्क सुलेमान का बहुत मजबूत है, तो जैन के प्रति साफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोगों की भी लम्बी लिस्ट है। संघ के रवैये पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि यहां से भले ही जैन की मदद न हो, लेकिन सुलेमान का रास्ता तो कठिन हो ही सकता है। वैसे एक तीसरा नाम भी चर्चा में आ गया है, इसका खुलासा बाद में करेंगे।

☞ **इंदौर-1 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दो नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई :-** इंदौर के एक विधानसभा क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सत्यनारायण पटेल, सोनिया गांधी और कमलनाथ के खासमखास माने जाने वाले स्वप्निल कोठारी के बीच वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, वह आने वाले समय यानि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद स्वप्निल एक अलग अंदाज में हैं और पार्टी नेतृत्व तक यह बात पहुंचाने में सफल हुए हैं कि जिनको पटेल साहब ने टिकट दिलवाया वे निपट गए और जिनके नाम मैंने आगे बढ़ाए वे जीतकर पार्षद बन गए। शह और मात के इस खेल में फिलहाल तो कोठारी पटेल पर भारी पड़ रहे हैं।

☞ **इंदौर में भाजपा की तिकड़ी चर्चा में :-** इंदौर की भाजपा राजनीति में इन दिनों गौरव रणदिवे, सावन सोनकर और जयपाल सिंह चावड़ा की तिकड़ी चर्चा में है। तीनों का तालमेल गजब का है। तीनों एक-दूसरे की मददगार की भूमिका में हैं और विरोधियों को भी निपटाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। तीनों की निगाहें तीन अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों पर है, इनमें से दो शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में है। भोपाल के जो नेता इन तीनों पर भरोसा कर रहे हैं, वे कई मामलों में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और इसका फायदा भी इन्हें मिलेगा। वैसे इस तिकड़ी के इर्द-गिर्द रहने वालों की संख्या न पहले कम थी, न अभी। यह भी एक राज है।

☞ **चलते-चलते :-** जो पंडोखर सरकार कुछ दिन पहले तक बागेश्वर महाराज को पानी पी-पीकर कोस रहे थे, वे आखिर उनके प्रशंसक कैसे बन गए। यह जानना जरूरी हो गया है। कुछ तो कारण रहा होगा कि आखिर पंडोखर सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। श्रेय भले ही गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को जा रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और है।

☞ **पुछल्ला :-** पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के काम करने के अंदाज ने पुलिस मुख्यालय में कई अफसरों की शैली बदलवा दी है। अभी तक खुद को लूप लाइन में मान रहे कई अफसर अब एक अलग जोश के साथ काम कर रहे हैं। पीएचक्यू का यह बदलाव वल्लभ भवन की पांचवीं मंजिल पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

माँ अमृतानंदमयी के नाम से बने अस्पताल का पीएम ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करने का मिशन मोड में प्रयास कर रही है और इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर प्रभावी सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी (पीपीपी) की जा रही है। यहां 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ क्षेत्र में बने 2,600 बिस्तरों वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमृता अस्पताल देश के दूसरे सभी संस्थानों के लिए भी एक आदर्श बनेगा। मोदी ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक संस्थानों द्वारा शिक्षा व चिकित्सा से जुड़ीं जिम्मेदारियों के निर्वहन की व्यवस्था एक तरह से पुराने समय से है और यह पीपीपी मॉडल ही है लेकिन वे इसे परस्पर प्रयास के तौर पर भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अपने स्तर से व्यवस्था खड़ी करते हैं और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं लेकिन साथ ही धार्मिक संस्थान भी इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश भी यह कोशिश कर रहा है कि सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करे। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर प्रभावी पीपीपी मॉडल तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही देश ने एक नई ऊर्जा के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है और इसमें देश के सामूहिक प्रयास प्रतिष्ठित हो रहे हैं तथा देश के सामूहिक विचार जागृत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान स्थापित हो रहा है। यह अस्पताल इमारत व प्रौद्योगिकी के हिसाब से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का, उनके लिए सुलभ प्रभावी इलाज का मध्यम बनेगा।

उद्घाटन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री व फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, श्अम्माश के नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी देवी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अस्पताल के प्रांगण में दीप प्रज्वलित भी किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानन्दमयी मठ द्वारा किया जाएगा। दिल्ली-मथुरा रोड पर फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित इस अस्पताल में शुरुआत में 500 बेड की व्यवस्था रहेगी और अगले 5 वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक पूरी तरह तैयार होने के बाद यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और देश के सबसे बड़े निजी अस्पतालों में शुमार हो जाएगा। इसमें शोध के लिए समर्पित एक 7 मंजिला ब्लॉक भी होगा। अस्पताल की मुख्य इमारत 14 मंजिलों की होगी और इसके शीर्ष पर एक हेलीपैड भी होगा।

The Truth About Gambling and Technology

As we know, technology is becoming one of the most significant motivating factors in all enterprises. The gaming business is one quarter that has profited tremendously from the progression of technology in recent years. Technology has profoundly impacted the growth and development of casinos in general, as well as their implementation and other elements.

As a direct outcome of this, a plethora of trendy casinos have started up all over the globe.Consequently, like the online lottery procedure, the contemporary casino enterprise has garnered a standing for existing as a digital pioneer, having capitalized on the most recent and cutting-edge digital innovations far in advance of the general public ever being aware of their existence. Keep reading to get more insight into how technology affects the gaming business.

✯ How Technology Cope With Gambling

The best technology is used to make games and gambling platforms for the online gambling industry. Most of the time, online casinos hire outside companies to create and license their games. There are three types of software that users of online casinos can use :-

☞ They can download software that they can put on their devices.

☞ Flash or no-download software doesn't need to be installed first and lets the device play immediately if it's connected to the internet.

☞ Users can get mobile casino software or apps from a play store and put them on their phones or tablets.

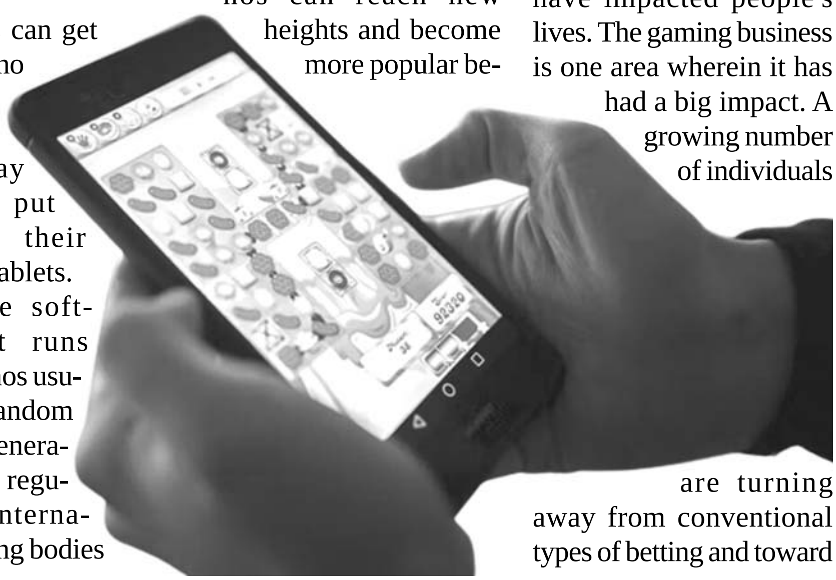

The software that runs online casinos usually uses Random Number Generators and is regulated by international gaming bodies to stop online gambling operators from rigging the games to their advantage. If you want more details about casinos, refer to the guides on Pro Indian Casinos because it is a trusted guides. You can capture the details about various gambling types you want there. The technology makes sure that the games are fair and random. Because there are many rules and regulations for online fun, players have a better chance of winning than at land-based casinos. Live casinos can reach new heights and become more popular because technology improves.

✯ How Online Gambling Platforms Work By Looking At The Technology Behind Them

These platforms are, in essence, computer servers that execute programs and make it possible for users to participate in gaming experiences using their personal computers or mobile devices.

✯ Accessibility

The remarkable improvements in smartphone technology have impacted people's lives. The gaming business is one area wherein it has had a big impact. A growing number of individuals are turning away from conventional types of betting and toward

its online equivalents because mobile devices provide fast access to a broad range of online gambling possibilities.

The expansion of online casinos, which let users employ technology to create elevated gaming experiences, is closely related to developments in the online gaming industry. By using their favorite gambling sites, players may access the site and engage in their preferred games of chance.

✯ **Security**

Cryptocurrencies are already being used by online casinos, especially those allowed in gambling jurisdictions that are friendly to the industry. Despite this, the underlying technology of the blockchain is still not being leveraged to its full potential. Blockchain technology can potentially improve platform security and user privacy in the gaming industry. This is very important since the iGaming and online sports betting ecosystems typically process bets totaling billions of dollars in addition to sizable deposits and withdrawals. Blockchains will soon overtake cash as the most widely used method of transacting worldwide. Long settlement timespan requirements and high costs have plagued traditional payment systems for decades.

Online casinos will gain from the broad use of this technology since their back-office settlement operations will either be completely automated or significantly sped up. This might reduce a business's operating costs and give it more time to focus on client acquisition, revenue development's most lucrative and challenging part.

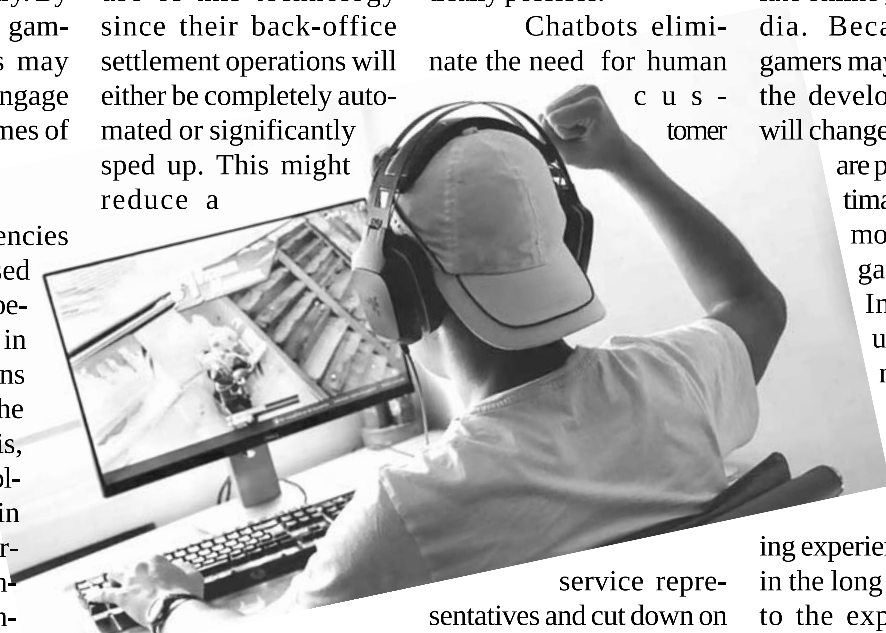

✯ **Assistance**

Improved customer service was achieved with the use of interactive chatbots in contemporary casinos. The players and the online casino can speak via this user interface, eliminating the need for human involvement. When a problem emerges, players may communicate with the chatbots to have the issue resolved as fast as is practically possible.

Chatbots eliminate the need for human customer service representatives and cut down on time it takes to handle problems. In addition, the gaming chatbot gathers information from the user to provide a personalized experience that promotes interaction. You may use the voice chatbot to offer spoken instructions while playing immersive games, such as buying a voucher, without disrupting the chatbot's expertise. The development of new technologies is paving the way toward a more prosperous future for various sectors, one of which is the market for online casinos.

Already, there is a push to legalize and regulate online gambling in India. Because of this, gamers may anticipate that the developments above will change the way games are played online, ultimately resulting in more competitive gaming industry. In addition, the use of new technology makes it possible for players to have a more enjoyable gaming experience, which will, in the long run, contribute to the expansion of the popularity of the online gambling industry.

✯ **Gaming Over a Network**

Cloud computing services are rapidly becoming the industry standard replacement for traditional gaming consoles. You are probably familiar

with the concept of online casino gaming networks. This system for online gambling is especially applicable to casino games, such as progressive jackpot games, which are played online. Thanks to a network of online casino games, you can participate in various jackpot games at several online casinos. As an outcome of the proliferation of cloud computing, software developers for online casinos now have additional alternatives for the design of games.

That is to say, the amount of time that passes between the creation of a game, its development, and its release is decreasing. In addition, many online casinos provide their customers gaming goods and services through the cloud. Therefore, regardless of where you are located, you should now be able to access games more quickly, provided that you have a reliable internet connection. It is a significant improvement over the previous arrangements, which resulted in the servers of online casinos being down, which prevented players from accessing games and gambling in general. On the other hand, cloud-based online casino gaming systems make it possible to start and play games in a much-reduced amount of time.

✯ **Conclusion**

In light of a recent estimate that the mobile gaming market will be approximately $100 billion by the end of 2017, we examine the expansion of the gambling industry as a whole as well as the impact that tech has played in the development of the betting sector. The act of playing a game to gain money is known as gambling. Gambling often entails making wagers or calculating odds to come out on top. Since its inception, people have been drawn to the thrill of gambling by the good emotions or adrenaline rush they get as a result of taking chances, and this attractiveness has not diminished through time. Gambling and betting have remained a well-liked pastime and leisure despite the disruptions brought about by developing new technologies in the business.

It is clear that technology has altered how people play games, as seen by the transition from rolling dice and playing cards in the year 100 A.D. to a city filled with casinos and unmanned betting shops equipped with touch screen kiosks in the 21st century.

The gambling activity and the infrastructures that enable it may be dissected to give insight into how and why technology has affected it.

Bilkis Bano case :

SC ISSUES NOTICE TO GUJARAT, CENTRE OVER RELEASE OF 11 GANGRAPE CONVICTS

The Supreme Court on Thursday issued notice to the Gujarat and Central governments on a batch of petitions which challenged the premature release of 11 convicts for the murder of 14 persons and gang rape of women including Bilkis Bano in the post-Godhra riots. "We issue notice to the Gujarat and Centre (governments). We will seek their reply. List it for further hearing after two weeks," a bench of Chief Justice N V Ramana said.

The Supreme Court was hearing petitions filed by former CPI (M) MP Subhasini Ali, journalist Revati Laul and Roop Rekha Verma challenging the Gujarat government's decision to grant remission to 11 convicts for killing 14 persons and sexually assaulting pregnant Bilkis Bano. Senior lawyer Kapil Sibal, appearing for the petitioners, submitted to the apex court that a large number of lives were lost in the riots and consequently there was an exodus of Muslims. He pleaded that the court should cancel and set aside the Gujarat government's remission order. He added that the remission order should not have been ordered by the Gujarat government in case of gang rape of a pregnant woman. These are all brutal offences.

The Supreme Court observed that the question is under which Gujarat rules were the convicts entitled to remission and whether there was an application of mind in the case.

रेवड़ी कल्चर

पीएम से एससी तक कर रहे मंथन

● अमित कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे का उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश के जालौन पहुंचे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन को दौरान विपक्षियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने रेवड़ी कल्चर शब्द का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि ये 'रेवड़ी कल्चर' वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेस–वे नहीं बनाएंगे, नए एअरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। हमे जल्द ही देश की राजनीति से इस रेवड़ी कल्चर को हटाना होगा। इन रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि देश की जनता को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर, उन्हें खरीद लेंगे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिय घातक है। सनद् रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर शब्द अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिय इस्तेमाल किया और तब से सोशल मीडिया पर चर्चा का यह विषय बना हुआ कि आखिर पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर किसे और क्यों कहा? निश्चित है वो उन राज्य सरकारों पर निशाना साध रहे थे, जो जनता को फ्री सुविधाओं का लगातार एलान कर रहे हैं। ज्ञात हो कि सबसे पहले 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने 'रेवड़ी कल्चर' पर बोला था, यहीं से इस पर बहस छिड़ गई थी। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टियां देश में 'रेवड़ी कल्चर' को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, सभी को मिलकर रेवड़ी कल्चर की सोच को हराना है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दरअसल, पीएम मोदी का निशाना उन योजनाओं पर था जिनके तहत राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले लोगों से मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, कैश या दूसरी चीजें देने का वादा करती हैं और जीत के बाद ये सब मुफ्त में बांटती हैं।

बहरहाल, देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त के वादे को 'गंभीर मुद्दा' माना है और कहा कि ये राशि बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि पैसे गंवाने और लोगों की भलाई के कामों में संतुलन होना चाहिए। चुनावों में मतदाताओं को रिझाने में राजनीति दलों की ओर से की जाने वालीं लुभावनी घोषणाओं को 'रेवड़ी कल्चर' का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है

और इस पर बहस की जरूरत है। सीजेआई एनवी रमना का कहना है कि मान लीजिए कि केंद्र एक कानून बनाता है कि राज्य मुफ्त नहीं दे सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है। देश के कल्याण के लिए हम इस मुद्दे को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर बहस की जरूरत है। सीजेआई ने उदाहरण के तौर पर कहा कि गांवों में कोई रोजगार देता है और कोई साइकल देकर कहता है कि इससे जीवन बेहतर होगा। मेरा कहना है कि यह वाकई में हाशिए पर रहने वालों के लिए जरूरी है। किस तरह से अंतर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ग्रामीण गरीबी से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुफ्त उपहार महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रश्न का निर्णय किया जाना है वह है, फ्रीबीज क्या है और कल्याण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि हम यह फैसला करेंगे कि मुफ्त की सौगात क्या है? अदालत ने कहा कि

क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी तक पहुंच, शिक्षा तक पहुंच को मुफ्त सौगात माना जा सकता है। हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि एक मुफ्त सौगात क्या है? सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई रमना ने कपिल सिब्बल से पूछा कि हमने आपका जवाब पढ़ा। आप अपने पुराने स्टैंड पर लौट आए हैं। इस पर सिब्बल ने हां कहते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि समझदार व्यक्ति हमेशा अपने स्टैंड में सुधार करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खुद को समझदार कहने की कोशिश कर रहा हूं। रमना ने कहा कि यह एक अहम मुद्दा है। अगर कल कोई राज्य एक योजना का ऐलान करता है और सभी को इससे फायदा मिल सकता है। तो क्या यह कहना सही होगा कि ये सरकार का विशेषाधिकार है? हम इसमें दखल नहीं दे सकते? सुप्रीम कोर्ट का दो टूक कहना था कि पैसों का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए। अर्थव्यवस्था, पैसा और लोगों के कल्याण के बीच संतुलन जरूरी है।

गौरतलब है कि मोदी के कटाक्ष पर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। आप कार्यकओं ने मोदी के बयान के तत्काल बाद पूरे गुजरात में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में हिरासत में भी लिया गया था। दरअसल, आप ने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफी जैसी मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली सेवाओं के दिल्ली मॉडल को प्रदर्शित करके चुनावी अभियान गुजरात में अपने चुनावी अभियान को आधार बनाया है। वही उच्चतम न्यायालय ने मुफ्त की सौगात के मुद्दे पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के कुछ बयानों को लेकर उसे आड़े हाथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुद्धिमत्ता केवल किसी खास व्यक्ति या पार्टी विशेष के पास ही नहीं होती। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने तर्कहीन मुफ्त योजनाओं के खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान द्रमुक के वकील पी. विल्सन के दलीलें शुरू करते ही पार्टी को फटकार लगाई थी। विल्सन द्रमुक के सांसद भी हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि श्री विल्सन (द्रमुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन), मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था। लेकिन मैं भारत का प्रधान न्यायाधीश होने के नाते ऐसा नहीं कह रहा हूं। जिस पार्टी और मंत्री के बारे में वह (वकील) बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बुद्धिमत्ता केवल किसी खास व्यक्ति या पार्टी विशेष से ही जुड़ी होती है। हम भी जिम्मेदार हैं। शीर्ष अदालत वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में सुविधाएं प्रदान करने के वादों का विरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा समेत सभी राजनीतिक दल एक ही तरफ हैं। सभी मुफ्त सौगात चाहते हैं। इसलिए हमने एक कोशिश की। पीठ ने कहा कि इसके पीछे मंशा इस मुद्दे पर व्यापक बहस शुरू कराने की है और इस लिहाज से समिति के गठन का विचार किया गया। हमें देखना होगा कि मुफ्त चीज क्या है और कल्याण योजना क्या है? शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वैधानिक वित्त आयोग की समिति गठित करने का विचार रखा। पीठ ने सिब्बल की मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन जिम्मेदारी कानून के तहत अगर कुछ मुफ्त चीजें वितरित की जाती हैं तो लाभ 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। पीठ ने सुझावों पर गौर किया और कहा कि बहस जरूरी है और पूछा कि क्या इस पर केंद्रीय कानून होने पर न्यायिक जांच की अनुमति है। सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका के पास किसी भी कानून की वैधता की जांच करने की शक्ति है। सीजेआई ने कहा कि उदाहरण के लिए, कुछ राज्य गरीबों और महिलाओं को साइकिल देते हैं। यह बताया गया है कि साइकिलों ने जीवन शैली में सुधार किया है। समस्या यह है कि कौन सी मुफ्त सौगात है और कौन सी चीज किसी व्यक्ति के उत्थान के लिए लाभदायक है। ग्रामीण गरीबी से पीड़ित एक

व्यक्ति के लिए उसकी आजीविका उस छोटी नाव या साइकिल पर निर्भर हो सकती है। हम यहां बैठकर इस पर बहस नहीं कर सकते। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी को समाज कल्याण योजनाओं से आपत्ति नहीं है, लेकिन कठिनाई तब सामने आई जब एक पार्टी ने टेलीविजन जैसी गैर-आवश्यक चीजें बांटीं। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों के मुफ्त बिजली के दावों का भी जिक्र किया और कहा कि पीएसयू वित्तीय रूप से भारी नुकसान उठा रहे हैं।

विदित हो कि चुनाव के दौरान फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर और मुफ्तखोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमणा ने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन क्यों नहीं करती? सरकार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाती है? इस पर सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि 'मामला आपके पास है। सरकार हरेक पहलू पर सहायता करने को तैयार है। चुनाव में मुफ्त की घोषणाओं पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन कौन करेगा, इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने पूर्व सीएजी विनोद राय का नाम सुझाया, जबकि याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरएम लोढा का नाम सुझाया। इसके बाद सीजेआई ने ये मामला नई बेंच को भेज दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमणा के साथ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज के नेतृत्व में समिति बना दी जाए, जबकि एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व कैग के नेतृत्व में समिति बनाई जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि जो रिटायर हो गया उसकी क्या वैल्यू रहती है। सीजेआई ने कहा, 'मैं नई पीठ को यह मामला भेज रहा हूं, जो मैनिफेस्टो मामले में दिए गए पूर्व

के फैसलों पर गौर करेगी।' इसके साथ ही यह तय हो गया है कि तीन जजों की पीठ आगे फ्रीबीज मामले पर सुनवाई करेगी। सीजेआई ने आगे कहा कि सवाल यह है कि फ्रीबीज चुनाव के पहले के वादे का मसला एक है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के खिलाफ भी याचिकाएं दाखिल हुईं तो फिर क्या होगा? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पोस्ट पोल वादा या योजना अलग मसला है। एक आवेदक की ओर से प्रशांत भूषण ने फ्रीबीज पर तर्क देना शुरू किया। सीजेआई ने कहा कि यहां पर दो सवाल हैं कि चुनाव से पहले के वादे और उनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई एक्शन ले सकता है?

चुनावों में फ्रीबीज, मुफ्तखोरी या 'रेवड़ी कल्चर' पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों का तर्क सुना और उनसे सुझाव मांगे। याचिकाकर्ता ने एक बार फिर विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मांग की, लेकिन बेंच ने कहा कि पहले अन्य के सुझाव पर भी गौर करेंगे। सीजेआई ने कहा कि सवाल ये है कि वैध वादा क्या है? क्या फ्रीबीज है और क्या वो कल्याणकारी राज्य के लिए ठीक है? सीजेआई ने आगे कहा, "जो याचिका के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं, वो अपना सुझाव दें." इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस मुद्दों पर विचार के लिए विशेषज्ञ कमिटी के गठन की मांग का विरोध किया था। हलफनामे में कहा गया था कि चुनावी भाषणों पर कार्यकारी या न्यायिक रूप से प्रतिबंध लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी के खिलाफ है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने का वादा करना "गंभीर मुद्दा" है। इसके बजाय बुनियादी ढांचे पर राशि खर्च की जानी चाहिए।

कथित रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की थी और इसपर रोक लगाने की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई खुद मुख्य न्यायधीश एनवी रमणा की अगुवाई वाली बेंच कर रही है। पहली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि मुफ्त का प्रावधान एक गंभीर आर्थिक मुद्दा है और चुनाव के समय "फ्री स्कीम का बजट" नियमित बजट से ऊपर चला जाता है। बेंच ने चुनाव आयोग से इस मामले में एक दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि कानून के अभाव में, वो सत्ता में आने वाले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बेनिफिट देने के वादों को रेगुलेट नहीं कर

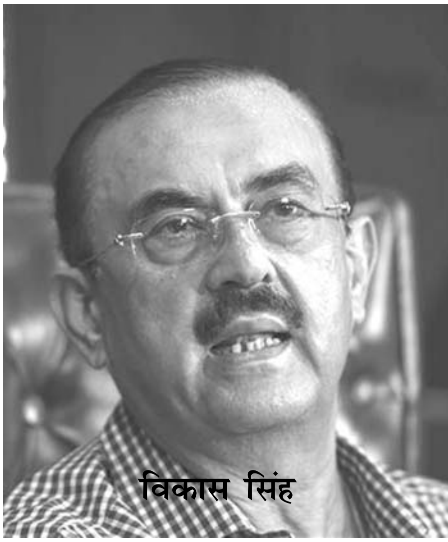
विकास सिंह

कपिल सिब्बल

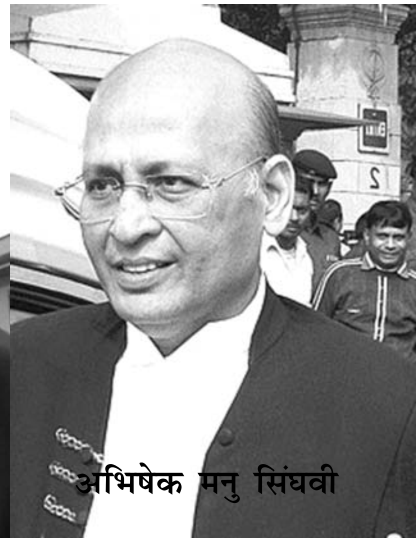
अभिषेक मनु सिंघवी

सकता। हालांकि इस याचिका के बाद दिल्ली और पंजाब सरकार ने एक हलफनामा दायर की और तर्क दिया कि योग्य और वंचित जनता के लिए चलाए जा रहे सामाजिक-आर्थिक कल्याण के योजनाओं को "मुफ्त उपहार" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। साथ ही दोनों सरकारों ने यह भी आरोप लगाया कि अश्विनी उपाध्याय कानूनी तरीके से एक राजनीतिक एजेंडा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने भी इसपर कोई स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं की है और कहा है कि इसपर डिबेट होनी चाहिए। इस याचिका पर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने भी कोर्ट में एक याचिका दायर की है और फ्रीबीज की परिभाषा को चुनौती दी है। डीएमके ने भी यही तर्क दिया है कि वंचितों के लिए शुरु किए गए स्कीम को फ्रीबीज नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर आम आदमी पार्टी फ्री स्कीम के लिए जानी जाती है, लेकिन तमिलनाडु भी उन राज्यों में एक है जहां पार्टी लाइनों से परे, चुनाव के समय फ्रीबीज का इस्तेमाल पारंपरिक रहा है।

बताते चले कि मुफ्त रेवड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार-बार चिंता जता रहे हैं लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल शीर्ष अदालत में रेवड़ियों के मुद्दे पर सुनवाई का विरोध कर रहे हैं या फिर चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि, कोर्ट ने राजनीतिक दलों से सुझाव नहीं मांगे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, द्रमुक और वाइएसआर कांग्रेस पार्टी ने तो अर्जी दाखिल कर कोर्ट के इस मामले में सुनवाई करने का विरोध किया है। परंतु, कांग्रेस, भाजपा समेत दूसरे दलों की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई है। वही शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। इसी सोच के साथ कोर्ट ने मामले में विशेषज्ञ समिति गठित करने की बात की थी और सुझाव मंगाए थे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से उनके द्वारा दाखिल किए गए सुझावों के बाबत पूछा। सिब्बल इस मामले में पक्षकार नहीं हैं, लेकिन कोर्ट ने एक सांसद और पूर्व मंत्री होने के नाते उनके अनुभवों को देखते हुए उनसे इस पर सुझाव देने को कहा था। जस्टिस रमणा ने कहा कि कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यह कोर्ट के सुनने का मुद्दा नहीं है। पीठ ने कहा कि वह किसी सरकारी नीति के खिलाफ नहीं है। जन कल्याण और अर्थव्यवस्था दोनों के हितों को देखते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करना शुरू किया है। इस पर

एन.वी. रमणा

चर्चा हो। कमेटी बने। फिर देखते हैं कि क्या विचार आते हैं। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने कहा कि पीठ सही कह रही है ये मुद्दा विचार का है, लेकिन सवाल उठता है कि इसे कैसे किया जाए। फाइनेंसियल रिस्पांसबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) एक्ट है, जिसके मुताबिक राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत से कम होना चाहिए। अगर राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत से ज्यादा हुआ तो अगले वर्ष का आवंटन कम कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से एक तंत्र के जरिये निबटा जाना चाहिए न कि राजनीतिक ढंग से। इस मुद्दे को वित्त आयोग को देखना चाहिए। दिगर बात है कि केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुफ्त रेवड़ियों का विरोध करते हुए कहा कि सामाजिक कल्याण को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है। परेशानी तब होती है जब कोई दल साड़ी, टीवी आदि बांटता है। मतदाता को सही-सही जानकारी होनी चाहिए। क्या आप ऐसे झूठे वादे कर सकते हैं जिन्हें पूरा करने की आपके वित्तीय साधन इजाजत नहीं देते या जिनसे अर्थ व्यवस्था चौपट होती हो? दूसरी तरफ जस्टिस रमणा ने कहा कि सवाल यह भी है कि आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। चुनाव आयोग के कार्रवाई करने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव के दौरान ही कार्रवाई कर सकता है। मान लो कि कोई दल वादा करता है कि अगर उसे चुना गया तो वह सभी को हांगकांग

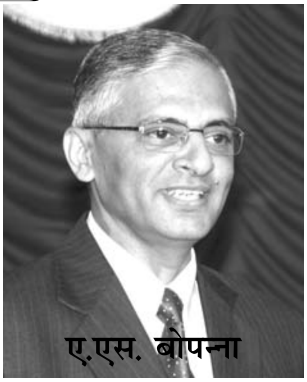

या सिंगापुर भेजेगा। इसे चुनाव आयोग कैसे रोकेगा। मुफ्त रेवड़ियों का वर्गीकरण कठिन पीठ ने वकील गोपाल शंकर नारायण द्वारा मुफ्त रेवड़ियों के वर्गीकरण की दलील देने पर कहा कि यह कठिन है। उदाहरण के लिए अगर किसी ने साइकिल दी तो इसके बारे में रिपोर्ट है कि इससे साइकिल पाने वाले जिंदगी बदल गई। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए साइकिल या नाव बड़ी चीज हो सकती है। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया है। उन्होंने कहा कि याचिका में कोर्ट से चुनावी भाषणों को नियंत्रित करने की मांग की गई है। ये मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (अभिव्यक्ति की आजादी) के तहत आता है। इसे कानून के जरिये नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट इस पर नियंत्रण नहीं लगा सकता। सिंघवी ने कहा कि अगर संसद या राज्य इस बारे में कानून बनाते हैं तो वे उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं लेकिन अगर कोर्ट आदेश देगा तो वे क्या करेंगे।

बिडम्बना है कि देश में इन दिनों 'रेवड़ी कल्चर' की काफी चर्चा है यानी मुफ्त में दी जाने वाली योजनाओं का चलन। जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी या चुनाव के दौरान लैपटॉप, कैश या दूसरी चीजों को दिए जाने की घोषणा। जैसा की पहले बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को इस शब्द का इस्तेमाल किया था और बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा था कि कुछ पार्टियां देश में 'रेवड़ी कल्चर' को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर की सोच को हराना है, ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। जब प्रधानमंत्री ने दूसरे दलों पर निशाना साधा, तो विपक्ष ने भी बीजेपी की योजनाओं को लेकर जवाब दिया। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि कॉरपोरेट के लाखों करोड़ रुपये के टैक्स को माफ करना 'रेवड़ी कल्चर' में आता है या नहीं। जिस 'रेवड़ी कल्चर' पर बहस छिड़ी है, उसपर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी 2022 को एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणाओं और वादों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। साथ ही अतार्किक मुफ्त वादे करने वाले राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने या उनके चुनाव चिह्नों को सीज करने की मांग की गई। सीजआई एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी वैधता और दायरे को लेकर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन 'फ्रीबीज' और 'असल कल्याणकारी योजनाओं' के बीच के अंतर को समझना होगा। बेंच ने ये भी कहा कि क्या यूनिवर्सल हेल्थकेयर और पीने के पानी की उपलब्धता को फ्रीबीज माना जा सकता है? मामले पर बहस जारी है।

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हो। इससे पहले साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 'मुफ्त की घोषणाओं और वादों' को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। इस संबंध में 'सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु' केस काफी चर्चित रहा। साल 2006 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव जीतने के बाद डीएमके ने मुफ्त में कलर टीवी बांटने का वादा किया था। डीएमके सरकार के इसी फैसले को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी। इसपर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा कलर टीवी, साइकिल, मुफ्त मकान, बिजली या रोजगार देने के वादों को घूस या भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 'फ्रीबीज' को लेकर कई सवाल थे। एक सवाल ये था कि क्या राजनीतिक दलों के ऐसे वादों को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 के तहत 'भ्रष्ट कार्यप्रणाली' माना जाना चाहिए। कोर्ट ने फैसले में इन वादों लेकर कहा था कि जन प्रतिनिधित्व कानून उम्मीदवारों के बारे में बात करता है ना कि राजनीतिक पार्टी के बारे में। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन मेनिफेस्टो किसी राजनीतिक दल की अपनी नीतियों का एक स्टेटमेंट होता है। ये नियम बनाना कोर्ट के दायरे में नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी चुनावी घोषणापत्र में किस तरह के वादे कर सकती है या नहीं कर सकती है। अब सवाल है कि 'फ्रीबीज' समानता के अधिकार का उल्लंघन है या नही? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुनाया था। दोनों बाद में देश के चीफ जस्टिस बने। कोर्ट के सामने एक सवाल ये भी था कि क्या ऐसे वादे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। बेंच ने कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा किए गए ऐसे वादों से लोगों के जीवनस्तर में सुधार होगा और ये राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुरूप ही हैं। हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा था कि लोगों के जीवन के लिए क्या जरूरी हैं, ये समय-समय पर बदलता रहता है। इसलिए कोर्ट राज्य को ये नहीं कह सकता है कि कलर टीवी पब्लिक गुड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जहां राज्य कुछ असंवैधानिक कर रहा हो। याचिकाकर्ता ने डीएमके के कई वादों को लेकर सवाल उठाया था। जिनमें, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में पंखे और ग्राइंडर मशीन देने की घोषणा भी थी। इसपर कोर्ट ने कहा था कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अंग्रेजी वेबसाइट 'द न्यूज मिनट' की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा था, ये सरकार पर निर्भर है कि वो नीति-निर्देशक तत्वों को लागू करते समय लोगों की जरूरतों और अपने वित्तीय खजाने का ध्यान रखे। अगर कोई खास लाभ किसी खास वर्ग को मिल रहा है, तो राज्य का सीमित संसाधन हो सकता है। सभी कल्याणकारी योजनाएं एक बार में सभी नागरिकों के लिए लागू नहीं की जा सकती हैं। राज्य धीरे- धीरे इन योजनाओं को आगे बढ़ा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के इस फैसले में एक अहम टिप्पणी कैग (सीएजी) को लेकर भी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कैग का काम ऑडिट करना है, वो ये नहीं बता सकता कि सरकारों को किस तरीके से पैसे खर्च करने चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने उस वक्त चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर इलेक्शन मेनिफेस्टो

की गाइडलाइंस तय करने का भी सुझाव दिया था। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने कहा कि अगर घोषणापत्र में कुछ है, तो उसे मुफ्तखोरी कहा जा सकता है। मुफ्त उपहारों के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इस मामले पर सीजेआई ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाती है। सीजेआई ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि समिति का नेतृत्व कौन करेगा और यह एक विशाल कैनवास है। अंततः यह राजनीतिक दल है जो वादे करता है न कि व्यक्ति। जैसे अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मुझे 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। वर्तमान व्यवस्था में पार्टी महत्वपूर्ण है। सीजेआई ने कहा कि जो आज विपक्ष में है वह कल सत्ता में आ सकता है और इसलिए वे आएंगे और इसे मैनेज करना होगा। इसलिए मुफ्त उपहार आदि जैसी चीजें, जो अर्थव्यवस्था को नष्ट कर सकती हैं, उन्हें देखना होगा और मैं सिर्फ एक परमादेश पारित नहीं कर सकता, इसलिए इसपर चर्चा करने की जरूरत है।

प्रवर्तन निदेशालय क्या है और ईडी का कार्य क्या है?

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) यानी ईडी (ED) एक वित्तीय जांच एजेंसी है, जो केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। ईडी पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि यह एजेंसी सरकार के इशारे पर उसके विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम करती है। ईडी को आर्थिक मामलों की जांच के साथ ही गिरफ्तारी के अधिकार भी प्राप्त हैं। ED की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी।

☞ **क्यों सुर्खियों में :-** ईडी इन दिनों दिग्गज हस्तियों पर हाथ डालने के कारण सुर्खियों में है। ईडी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निकट सहयोगी पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारकर 50 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की थी। इसके चलते पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। इसके अलावा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ और नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील करने के चलते भी यह एजेंसी सुर्खियों में है। ईडी की पूछताछ के चलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी भी ईडी की ताकत को दर्शाती है।

☞ **अधिकार :-** ईडी को आर्थिक मामलों की जांच, कुर्की, जब्ती के साथ ही गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्रवाई का भी अधिकार प्राप्त है। यह एजेंसी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को कुर्क कर सकती है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों की संपत्ति भी ईडी द्वारा कुर्क की गई थी।

☞ **कार्यक्षेत्र :-** दिल्ली स्थित मुख्यालय के अलावा ईडी को 5 क्षेत्रों– मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बांटा गया है। इस एजेंसी के मुखिया को प्रवर्तन निदेशक कहा जाता है। इसके अलावा विशेष निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद भी होते हैं।

किन कानूनों के तहत कार्य करता है ईडी

☞ **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) :-** यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती के लिए अधिनियमित किया गया है। ईडी को को इस तरह के अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु जांच करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।

☞ **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) :-** इस कानून के तहत विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस तरह के मामलों में ईडी को जांच के साथ ही जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

☞ **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) :** यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ऐसे आर्थिक अपराधी, जो भारत से बाहर भाग गए हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए तथा उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार से अटैच करने का प्रावधान किया गया है।

☞ **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (FERA) :-** निरसित (Repealed) एफआईआर के तहत उक्त अधिनियम के कथित उल्लंघनों के लिए अधिनियम के तहत 31 अप्रैल 2002 तक जारी कारण बताओ नोटिस का न्याय निर्णयन करना है। इसके आधार पर संबंधित पर जुर्माना लगाया जा सकता है और एफआईआर के तहत शुरू किए गए मुकदमों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

☞ **सीओएफईपीओएसए के तहत प्रायोजक एजेंसी :-** विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (सीओएफइपी ओएसए) के तहत इस निदेशालय को फेमा के उल्लंघनों के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है। ●

आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराता रहा है भारत

● ललन सिंह

धमाका भी नहीं, सीध निशाने पर वार यही विश्व ने देखा, जब अफगानिस्तान के काबुल में अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी को मौत की निंद प्रदान किया। अमेरिका के ड्रोन में हेलफायर मिसाइल द्वारा, इस मिसाइल जिसका नाम आर 9 एक्स हेल्फायर है, इस मिसाइल में तेज धार वाले ब्लेड निकलकर निशाने को नष्ट करने की कावलियत रखता है। इस मिसाइल की खास विशेषता होता है कि इस मिसाइल के द्वारा हमले में सटीक निशाना होती है और सामान्य और इधर-उधर किसी तरह का नुकसान

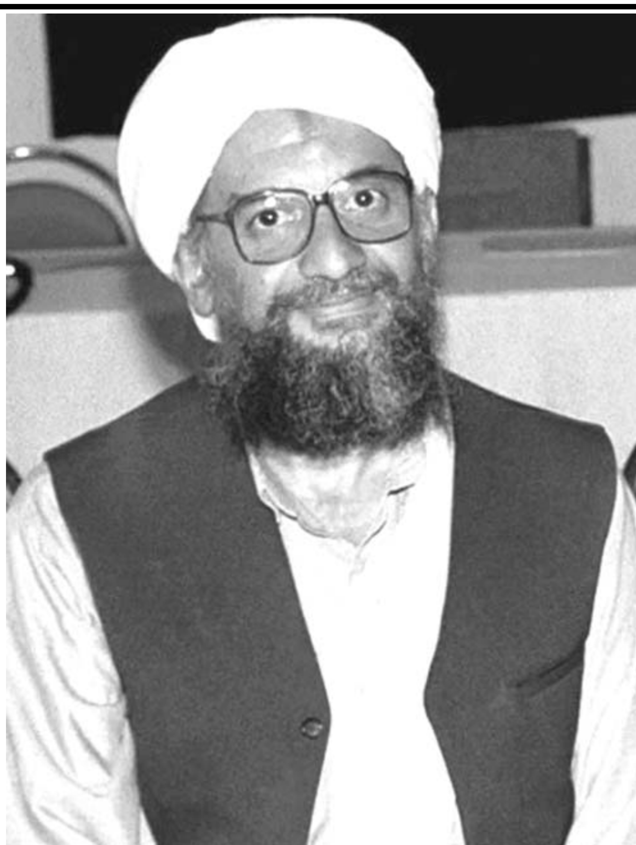

नहीं होता ना नही अनावश्यक जान-माल का नुकसान भी होता और इसका उदाहरण जवाहिरी की मौत है, जवाहिरी को छोड़कर किसी भी अन्य सदस्य परिवार को नुकसान नहीं हुई। एक बात यह भी विश्व को समझ में अवश्य आई है कि आतंकवाद और उसके सरगना को चिन्हीत करके सही सूचना पर बर्बाद किया जा सकता है और इसके लिए सुरक्षा बलों एवं समय पर अपने अंजाम पर पहुँच कर आतंकवाद को समाप्त की जा सकती है, जवाहिरी की मौत भारत के लिए भी राहत है, परन्तु यह भी बात समझने की है कि भारत के लिए यह जबर्दस्त चुनौती भी है, जवाहिरी और इसका अलकायदा संगठन भारत विरोधी रूख हर समय उजागर होता रहा है। 2011 में कश्मीर की तुलना फलस्तीन से की थी, भारत को साथ देने वाले इस्लामिक देशों की निंदा किया था, हिजाब एवं नुपूर शर्मा के बयान के विरोध में मुसलमानों एवं मुस्लीम

देशों को एकजुट होने के लिए कहा था, हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा हर कोशिशों को नाकामयाब किया। अफगानिस्तान में जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तोयबा को पूरी तौर पर अपने कार्यो के लिए तालीबान द्वारा मौका दिया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का बयान की अपने जमीन पर किसी भी आतंकी संगठन को मौका नहीं देंगे गलत साबित हो रहा है, जवाहिरी गृहमंत्री के नजदीक मकान में पूरे परिवार के साथ कई माह से रह रहा था, इसलिए भारत को और सतर्क होना ही होगा, क्योंकि पाक एवं अफगानिस्तान से इन सभी आतंकियों का साथ भारत विरोधी रहेगा। इस बात के प्रमाण लगातार हमारी सूचना तंत्र द्वारा प्राप्त हो रही है। आजकल विश्व में आतंकी हमले एवं नापाक हरकतों का भय लगातार रहा है। भारत भी आतंक से त्रस्त है, वर्तमान में पाक और विदेशी आतंकी संगठनों की नजर भारत में दंगा–फसाद, हिंसा एवं आपस में वैमनस्य के लिए कुछ भारत के देशद्रोही एवं पी.एफ.आई. जैसे कुछ और संगठनों के साथ नापाक रणनीति पर कार्यरत हैं, देश विरोधी तत्वों का इस तरह के आतंकी संगठनों के साथ देश विरोधी हरकतों के बावत जानकारीयां प्राप्त हुई है, देश में हाल के दिनों में फुलवारी शरीफ हो या बिहार के कई इलाके जिसमें मिथलांचल, सिमांचल, और देश के विभिन्न राज्यों में जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश में, गजल–ए–हिंद, जमात–उल– मुजाहिदीन और पी.एफ.आई. के सहायक संगठनों के साथ पाए हैं और इसके प्रमाण जुटाए जा रहे हैं चार–पाँच राज्यों के ए.टी.एस. द्वारा, आरोपियों को लगातार छापामारी के बाद पूछताछ जारी है, साथ ही अब केन्द्रीय एजेंसियों की टीम भी जाँच प्रक्रिया में

कार्यरत है अब कुछ जाँच को पूरी तौर पर एन.आई.ए. द्वारा जिम्मेदारी ले ली गई है। गम्भीरता को देखते हुए देश में कार्यरत देशद्रोही तत्वों के मोबाइल में वाट्सएप चैट एवं विदेशी नम्बरों से गजबा–ए–हिंद एवं काला देश के जे.एम.बी. के जुड़े होने का जानकारी प्राप्त एजेंसियों को मिला है। पाक के और विदेशी नम्बरों से देश विरोधी अभियान का भंडाफोड़ हुआ ही है और देश में कट्टरता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने के नीतिगत सोच पर नकेल कसने की कार्यवाही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी है, भारत में असमाजिक तत्वों को लेकर हमारी सूचना तंत्र चौकस है यह भी जानकारी मिल रही है कि एल.ओ.सी. पर सख्त चौकसी के कारण नेपाल एवं बंगलादेश के सीमा से विदेशी सक्रिय है, नापाक हरकतों के लिए जिससे भारत में अव्यवस्था एवं दंगा फसाद से अशांति का माहौल बने, आई.बी. के इनपुट पर राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तौर पर चौकस है। हाल के दिनों में आरोपी जिनका पी.एफ.आई. और कुछ आतंकी संगठनों से सुत्र जुड़े मिले हैं, उसमें कई राज्यों के लोग एक–दूसरे से जुड़े होने का प्रमाण प्राप्त मिल रही हैं। यह भी जानकारी मिली है कि सिमी के पूर्व

सदस्यों को फिर से एक्टीव करने का प्रयास किया जा रहा है, चेन बनाकर मैसेज पास हो रहे थे, पाकिस्तानी से चैटिंग के साक्ष्य भी मिले हैं, फुलवारी शरीफ (पटना) एवं तेलांगना के आरोपियों के मोबाईल से जो आर्थिक रूप से और आतंकी हरकतों के लिए निर्देश के तौरपर इस्तेमाल हो रहे हैं, देश के विरोधी मिशन 2047 में जूटे दूसरे राज्य के सदस्य और पी.एफ.आई. के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के संपर्क में भी फुलवारी शीरफ के आरेस्ट अतहर एवं अरमान काफी दिनों से थे, अतहर की कर्नाटक एवं पाक के द्वारा निर्देशन प्राप्त होने के पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं, जो खतरनाक साजिश वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों से विदेशी फंडिंग लेने के लिए पी. एफ.आई. नए-नए तरीका को अपनाए थे पर ई.डी. द्वारा जाँच के कारण इनके तरीके पूरी तरह से उजागर हो रही है और साबित हो चुका है कि पी.एफ.आई. खाड़ी देशों से रेमीटेंस के रूप में फंड लेता है फिर कैश जमा कराता था खाते में, चीन से भी पैसा प्राप्त इन्हें हुई है जो पूरी तौर पर साबित हो रहा है, पक्के सबूत मिले है, केवल 2019 से एक वर्ष के अन्दर 120 करोड़ रूपए की फंडिंग हो चुके हैं, ओमान से एक करोड़ रूपए की प्राप्त करने वाला को ई. डी. ने सबूत के साथ पकड़ा है। कोई यह अकेला मामला नहीं है ऐसे कई मामला को ई.डी. द्वारा जाँच में मिले हैं, ई.डी. ने 23 से अधिक बैंक

खाते एवं रिहैब फाउंडेशन के 10 से 15 एकाउण्ट में लाखों रूपए को जब्त भी किया है, हाल के दिनों में फुलवारीशरीफ (पटना) में अरेस्ट के बाद दस्तावेज प्राप्त हुए, जिसमें देश की आजादी की 100 वीं वर्षगांठ (2047) तक भारत में इस्लामी सरकार की स्थापना का खतरनाक षड्यंत्र की जानकारी मिली और रणनीति पर कैसे कार्यो को पूरा किया जाएगा इसकी पूरी तरह से इन दस्तावेजों में जानकारी दी गई है, सवाल कई उठने लाजमी है। इस तरह के देशद्रोही लोगों को देश विरोधी हरकत का मौका कैसे मिलते हैं कौन लोग इन्हें आर्थिक एवं तौर तरीके से मजबूती देते हैं जरूरी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मदद करने वालों को भी आतंकियों जैसा ही कानूनी प्रक्रिया में आरोपी बनाया जाए, क्योंकि देश में अब आतंक के साथ सख्त एवं सतर्क एक्शन आज की आवश्यकता है। भारत के विभिन्न राज्यों में आतंकी नेटवर्क को जाँच के क्रम में आश्चर्यजनक जानकारी प्राप्त हुई है कि हर शक वाली संगठनों में दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी यही फुलवारीशरीफ के पकड़े गए आरोपियों से जानकारी भी मिली। देश भर के युवाओं को जो एक समुदाय विशेष से आते हैं, उन्हें ब्रेनवाश करके इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी या गलत बातों को करने वालों के उपर हमला एवं निशाने बनाने की प्रशिक्षण गुप्त जिहादी दस्ता को तैयार किए जाने की प्रक्रिया जारी था। छापेमारी में मिले हुए बरामद सामग्री से यह भी पक्का हुआ है कि इन सभी का अंतिम लक्ष्य भारत को इस्लामिक देश बनाना और यदि इसका कई विरोध करे तो उसे खत्म करना इसके लिए एस.डीपी.आई. एवं पी. एफ.आई. के आड़ में तैयारी एक माध्यम है, बिहार के कई जगहों पर जेहादी दस्ता को कायम करने के लिए केरल झारखण्ड, तामिलनाडु से प्रशिक्षक एवं इससे सम्बंधित लोगों का भी आना-जाना लगा रहता था। इससे एक बात यह भी कन्फर्म हो रहा है कि बिहार में आतंकी पांव को फैला चुके हैं। इसका आहट दरभंगा, मधुबनी, सारण एवं चम्पारण साथ ही बांका, भागलपुर के कनेक्शन से प्रमाणित हो रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा एवं इंडियन मुजाहिदन का साथ का भण्डाफोड़ कई मौके पर मिले हैं, हालाँकि अब बिहार में जाँच की जिम्मेदारी एन. आई.ए. ने सम्भाली है और एक

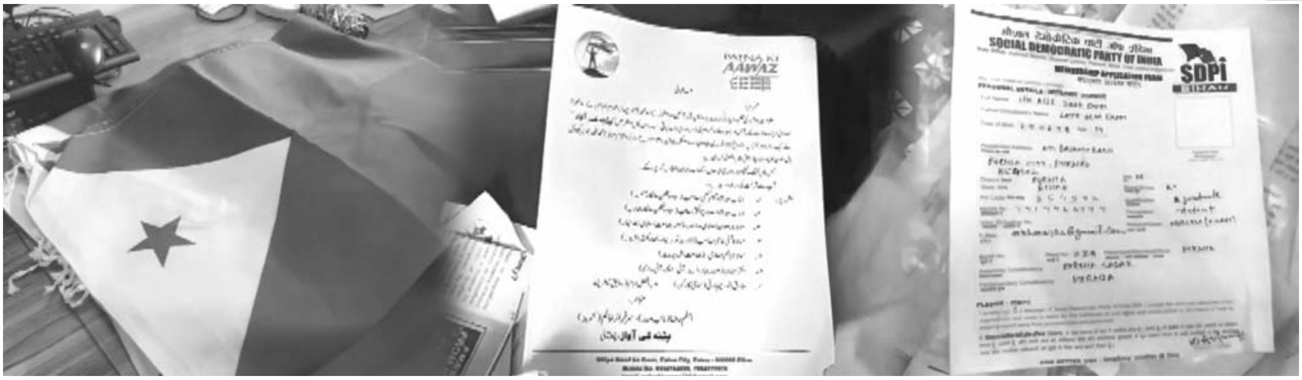

तरह से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा सख्ती से इस पर जाँच की दिशा में प्रगति हुई है और इससे कई खुलासे हो रहे हैं जो शांति, सुरक्षा के लिए राज्य एवं देश के लिए बहृत सही है, इसमें कोई शक नहीं है।

एक बात साफ है जब कोई संगठन देश विरोधी हरकत में लिप्त हो और इसकी जाँच में प्रमाण मिल रहे हो, तो जरूरी है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंध की कारवाई की जाए, अब तो पी.एफ. आई. की फंडिंग की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। एक बात पूरे देश में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आंतरिक सुरक्षा में लगातार कोई ना कोई मुद्दा उठाकर हिंसा, प्रदर्शन और देश में अनावश्यक समस्या पैदा करना एक आदत सी हो गई है, प्रजातंत्र में हक है कि गलत पर आवाज अवश्य उठाई जाए, परन्तु इस ताकत को गलत तरीकों से उठाकर माहौल समाज एवं देश में सही नहीं ठहराया जा सकता। इस संगठन के जांच में इनके कुछ सदस्यों के मोबाइल से नुपूर शर्मा का पता एवं मोबाईल नं. भी मिले हैं जांच में इन आरोपी द्वारा नुपूर शर्मा के घर की रेकी की गई थी। इस बात की पुष्टि भी हुई। एस.डी.पी.आइ. एवं पी.एफ.आइ. की आड़ में संचालित कार्यों में विदेशी फंडिंग की जानकारी आ रही है और यह भी सच साबित हो रहा है कि पी.एफ.आई. अपने आप में बचाव हेतु कई उप संगठन बनाए हैं और अलग-अलग इन संगठनों के माध्यम से लोगों को कट्टरता के नाम पर एकजुट एवं इनका ब्रेनवाश करके देश के खिलाफ लोगों को भड़काने की कवायद जोर-शोर से चल रही है। मदरसे के नाम पर पढ़ाई के बजाए जेहाद की कोशिश, असम से मध्यप्रदेश तक, इसमें बांगलादेशी आतंकी जमात इन मदरसों के साथ-साथ कार्यरत है। हालांकि असम, मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगाना और कई राज्यों में इनके सच की पुष्टि हो चुकी है।

देश की बाहरी सुरक्षा को लेकर पूरी तौर पर सरकार सतर्क है। अब देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी आवश्यकता है। देशद्रोहीयों, स्लीपर सेल और विदेशी एजेंटों को जो आई.एस.आई. के द्वारा निर्देशित होते हैं, उनपर कानूनी शिकंजा और इनके वजूद को पक्के तौर पर खत्म करने की जरूरत है। आज भारत की रक्षा और सुरक्षा को सशक्त करने की योजनाबार कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रही है, स्वावलंबन से सुरक्षा आज देश के लिए गर्व की बात है और इसमें एक नाम डी.आर.डी.ओ. जो लगातार रक्षा प्रणालियां विकसित कर चुका है और लगातार हर क्षेत्र में भारत के सामरिक महाशक्ति बनाने में कार्यरत हैं और देश ही नहीं विदेशों में इस संस्थान की रक्षा उपकरण एवं अस्त्र-शस्त्र को आयात हेतु अग्रेसित है। यही कारण है कि कोई भी देश भारत को आँख दिखाने की कोशिश नहीं कर सकता और भारतीय रक्षा के मजबूती हेतु संस्थानों में जो कार्य हो रहे हैं, उससे देश की क्षमताओं ने चमक एवं धमक नजर आ रहा है, जैसे तेजस का स्वदेशी निर्माण एवं नए वर्जन में मिसाइलों का लगातार परीक्षण आज देश के आधुनिक शस्त्रों से सशक्त हमारी सेना अपने देश के सुरक्षा हेतु पूरी

तौर पर अपने आप में आत्मनिर्भर है और अपने निर्मित अग्नि, त्रिशुल आकाश एवं पृथ्वी जैसे मिसाइलों से दुश्मन पर दवाब बनाने में सक्षम भी है इससे सुरक्षित भविष्य के तरफ भारत आगे बढ़ता नजर आ रहा है एवं इन्हीं कारणों से वैश्विक स्तर पर हमारी सैन्य बल की धाक एवं कावलियत का डंका बज रहा है, विश्व में।

हाल के दिनों में बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश के तर्ज पर असम, जो की अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर

बांग्लादेश के साथ सीमा से मिलती है वहाँ पर आतंकी संगठन के लोगों की धड़ पकड़ हो रही है, असम के मोरीगांव जिले में आतंकी मुस्तफा जो बंगलादेश के आतंकी संगठन से जुड़ा होने के सबूत मिले हैं, उसके द्वारा मदरसा संचालित हो रहा था, उसे राज्य सरकार द्वारा बुलडोजर एक्शन से ढहा दी गई। इस राज्य में बड़े पैमाने पर घुसपैठ एवं फर्जी तौर पर बंगलादेशी एवं रोहिंग्या स्थापित हुए है और वहाँ से धीरे-धीरे भारत के विभिन्न भागों में जाकर स्थापित हुए है और आतंकी हरकतों में इनके शामिल भी होने के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। राज्य में 800 के लगभग मदरसे को बंद कराया गया है, असम कट्टर इस्लामिक संगठनों का अड्डा बन नहीं पाए इसके लिए राज्य सरकार पूरी तौर पर एक्शन में है, राज्य सरकार एवं केन्द्रीय खुफिया तंत्र अन्तर्राष्ट्रीय सीमा जो असम से मिलता है वहाँ पर क्युआईएस. के साथ जुड़ाव रखने वाले लोगों को खोजबीन एवं उनके अड्डों पर छापामारी अभियान छेड़ रखा है जिससे आंतकी और उनके समर्थकों को अब अपने वजूद एवं अपने लिए असम में रहना मुश्किल सा हो गया है और वहाँ से दूर दूसरे राज्यों में स्थापित एवं जड़ जमाने के लिए कोशिश में लगे हैं, जिस पर देश की सुरक्षा बल तथा सूचना तंत्र पूरी तौर पर सचेत एवं एक्शन में है। सीमावर्ती राज्यों में अब सीमा-सुरक्षा बल घुसपैठ एवं तस्करों के खिलाफ अभियान को लेकर सतर्क हैं। भारत की सभी सूचना तंत्र की एजेंसियां आजकल मुस्तैदी से कार्यरत हैं। यही कारण है कि अराजकता हिंसा एवं अशांति साथ ही कट्टरता के माध्यम से रणनीति बनाने वाले पाकिस्तान और विदेशी आतंकी संगठनों के सरगना असमंजश में है, पाक एवं अफगानी बेश आतंकवादी संगठनों के भारत में अस्थिरता कायम करना असंभव जैसा है, अलकायदा हो या तालिबान, लश्कर हो या जैश या कोई भी आंतरिक संगठन घुसपैठ की पूरी कोशिश एक.ओ.सी. या पंजाब, राजस्थान, गुजरात के तरफ से सफल नहीं हो पा रहे हैं, सेना अर्द्धसैनिक बल के चौकसी से इनकी दाल नहीं गल रही है। अब वे इसी कारण से नेपाल बंगलादेश के रास्ते की कोशिश में लगे हुए हैं पर खुला बार्डर नेपाल के उपर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अब रॉ भी आरोपी संगठन के माध्यम से विदेशी सूत्र के उपर पूरी तरह से चौकन्ना होकर कार्यरत हैं, बंगलादेश, खाड़ी देशों से जो भी सूत्र मिले हैं, जाँच में उसपर मिलिट्री इन्टेलिजेंस भी कार्यरत हैं और इन सभी साझा जाँच से इन आतंकियों का नेटवर्क को पूरी तौर पर सफाया की प्रक्रिया चालू है। अब जरूरत है कि किसी भी हालत में जाँच को अवरोध राजनीतिक कारणों एवं वोट के स्वार्थ में ना हो, राजनीति को जाँच से दूर रखा जाए, सुरक्षा पर कोई भी कोताही ना हो, तुष्टीकरण एवं धर्म, जाति की कोई बात बाधक ना बने, क्योंकि देश में माहौल एवं छवि को बिगाड़ने के लिए विदेशी ताकतें एवं देश के विद्रोहियों का योजनावार कार्य हो रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय खुले बार्डर के कारण नेपाल के रास्ते नापाक इरादों वालों को बिहार, यूपी. के रास्ते मौका ना मिले इसके लिए सीमा पर अधिक से अधिक आवजरवेशन पोस्ट एवं वेरियर साथ ही लगातार ड्रोन एवं पैदल गश्ती को कायम रखा जाए और सीमा से सटे जिलों में गहन रूप से सूचना तंत्र आपसी तालमेल के द्वारा गलत लोगों पर नजर रखे एवं शक की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया द्वारा जाँच के घेरे में लेकर

कार्यवाही की जाए। राज्य के पुलिस और प्रशासन को आज के इस माहौल में सक्रिय रूप से कार्यवाही करने में तेजी लाने की जरूरत है। निष्पक्ष होकर सख्त एक्शन आज की जरूरत है। देश में बेतुकी बयानों एवं धर्म, जाति के नाम पर राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के मनसुवे पर शिकंजा कसने की जरूरत है। देश की आज जरूरत है विकास की और विकास के लिए आम लोगों में सुरक्षा की भावना की आवश्यकता है। इन सबके लिए प्रशासनिक अमले को अपने कार्यों में विश्वसनियता अति आवश्यक है, हर को बेहतर सुरक्षा एवं अपने हक को प्राप्त करने हेतु पूरी तौरपर आजादी साथ ही सुविधा हो, जिससे समाज में एक समान सबको न्याय मिले, देश संविधान से निर्देशित है, नियम एवं कानून के प्रति सभी लोगों को सम्मान प्रदान करना होगा। इसके बावत भी ईमानदारी से नेताओं एवं देश के तंत्र को सचेत होना होगा।

आजकल देश में हर हाथ में तिरंगा, कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक को तिरंगे के साथ देखने पर लगता था कि लाल चौक अब तिरंगा चौक बन सा गया था। मतलब साफ है देश में अन्तर हो सकता है, परन्तु देश के सुरक्षा और सम्मान के लिए जज्वा के साथ एकजुट है। देश के लिए सबका एक स्नेय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं, किसी भी विदेशी ताकत को हमारे आंतरिक माहौल को खराब नहीं करने देने का संकल्प हमारा विरासत है, हम अपने पूराने पूर्वजों नेताजी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल हमीद को जब-जब याद करेंगे तो देश की मान-सम्मान पर गर्व महसुस करना स्वभाविक है। असम से पंजाब, कन्याकुमारी से काश्मीर तक हम सब भारतीय अपने देश के लिए एकजुट होकर रहेगे यह हर भारतीय को समझ है। यही कारण है आज विश्व में भारत की अपनी अलग पहचान है। दुनिया के बड़े-बड़े क्षेत्रों में उच्चतम पदों पर भारतीय आसीन है हमारे देश के कुशल श्रेणी के लोगों की विदेशों में सम्मान है, कुछ मुट्ठी भर लोग देश में अराजकता, बेतुकी बयानों से माहौल एवं छवि को धुमिल करने के लिए राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे हैं। धर्म जाति कट्टरवाद के नाम पर जो शर्मनाक है, उनपर देश की सुरक्षा बलों एवं सुचना तंत्र की नजर है और उनके कार्यों को पूरी तौर पर रोक लगाने की प्रक्रिया जारी है।

भारत देश का सत्यमेव जयते वाला इतिहास रहा है। हिंसा या खुन-खराबा, कट्टरवाद के रास्ते कोई भी अपने अंजाम तक पहुंच नहीं सकता। भारत का संदेश रहा है-सबका भला हो, सबको अपनापन और प्यार भाव का मार्ग से आगे बढ़ने का मौका हो, परन्तु विश्व में कुछ ऐसे संगठन है जो भारत के प्रति नापाक सोच से देश में धार्मिक आधार पर तोड़ना चाहते हैं इनके मंसुवे को धाराशायी करने के लिए हम, सब भारतीय को अपने आप में ईमानदार एवं देश के प्रति फौजी जैसा समर्पित होने की जरूरत है। इजरायल आज विश्व में इसी तरह का उदाहरण प्रस्तुत करके हर क्षेत्र में उचाईयाँ को छू रहा है। आजकल किसी एक बयान के कारण एक समुदाय के लोगों को चुनकर हत्याएं, गलत उदाहरण का ही रूप है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अहम है और आजकल समाज में गलतफहमी सी हो गई है कि झुकने से लोग छोटा और कमजोर समझकर हर तरह से उपेक्षा के नजर से देखेंगे। परन्तु सच यह नहीं है बल्कि झुकने और सहनशील होने से कोई भी समुदाय व्यक्ति और मजबूत ही होता है। फल से लदी हुई डाल हमेशा झुकी रहती है, हमारे महाभारत में

राजकुमार दुर्योधन अपनी अकड़ एवं अपने आप में ताकतवर बनने की सोच और दिखावा के कारण स्थापित नहीं हो सका। यही आज हमारे विश्व में हालात है। धर्म, देश और अपने आप में अपना स्वार्थ का उदाहरण युक्रेन और रूस की महायुद्ध और अब ताइबान एवं चीन की तनातनी मुख्य कारण है।

अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन काफी आक्रोश में है, चीन 4 दिनों का सैनिक अभ्यास ताइवान के नजदीक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शुरू करके ताइवान के उपर पानी में कई वैलिस्टक मिसाइल दागी है अपने डांगफेंग मिसाइल की लाइव फायर से पूरी तौर पर विश्व में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में है। चीन का इस्टर्न थियेटर कमाण्ड नियोजित अभ्यास के बहाने ताइवान के साथ अमेरिका को अपने सामरिक ताकत का एहसास कराने के प्रयास में है। चीन का साफ कहना है कि चीन का एक प्रांत है ताइवान, परन्तु ताइवान इस बात को एकदम मानने को तैयार नहीं है। विश्व के 15 देशों द्वारा समुद्र के बीच इस टापुनुमा को स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुका है। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी स्पीकर का साफ संदेश, अमेरिका ताइवान के हर मौके पर साथ देगा और लोकतत्र को बनाए रखने के लिए पूरी मदद करेगा। किसी भी तरह

का आक्रमण पर साथ देगा, इसका संधि कर चुका है। चीन ने नैन्सी पर और उनके परिवार पर ताइवान के यात्रा के उपर पूरी तोर पर प्रतिबंध की घोषणा किया, चीन चारो तरफ से 6 जगहों पर घेराबन्दी सामरिक तौर पर सैनिक अभ्यास का रूप दिया है, जिससे दुनिया में चीन के ताकत को लोग समझे पर अमेरिका भी अपने जंगी पोत रोनाल्ड रीगन एवं दो और युद्धपोत और लड़ाकू विमान से ताइवान को समर्थन प्रदान की है।

एक बात विश्व को जानकारी हो गई है कि चीन अपने आर्थिक, कुटनीतिक एवं सामरिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। विस्तारवाद में दो कदम आगे और पिछे एक कदम चलकर अपने चालबाजी की आदत को छोड़ नहीं सकता। इसके धुर्तता श्रीलंका और छोटे देशों को अब समझ में आ रहा है। भारत के साथ इसकी बेईमानी एवं चालाकी का प्रमाण 1962 और गलवान के दौरान साथ ही पहले कई एल.ए.सी. पर देखने को मिलता रहा है। हाल में उत्तराखंड के इलाके में और अरूणाचल में भी इसकी सामरिक तैयारियां एवं सीमा के नजदीक लोगों को बसाने की रणनीति उदाहरण है। विश्व के लिए यदि देखा जाए तो चीन के नीतिगत निर्णयों में चाहे वह आर्थिक हो या व्यापारिक या सामरिक इस सदी में सबसे खतरनाक है, कई देश के राजनेताओं के स्पष्ट बयान इस बावत ब्यानों के आधार पर माना जा सकता है कि चीन विश्व की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तीन बार चीन ताइवान पर 1949 से हमला कर चुका है और युद्ध विराम भी चीन द्वारा ही हुआ है। अब जापान से भी टकराहट की कोशिश में है। कारण है कि हिंद प्रशांत महासागर में अपने प्रभुत्व को कायम रखना अर्थात समुद्र में दादागिरी हालांकि क्वाड के माध्यम से इसके दादागिरी पर रोक लगाने की प्रयास रंग ला रही है, जिससे यह चीन गुस्से में है।

चीन ताइवान के जल के भीतर समुद्री इलाके में आजतक का सबसे खतरनाक लाइव ड्रील और अभ्यास पूरी तौर पर लड़ाई के समान वातावरा में प्रारम्भ किया है, उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका के स्पीकर नैन्सी के वापसी के तुरन्त बाद चीन अपने एक्शन को अंजाम अवश्य देगा क्योंकि विश्व में चीन की साख गिरी लगतार अमेरिका को धमकी दे रहा था। स्पीकर नैन्सी की यात्रा पर रोक लगाने को परन्तु अमेरिका ने अपने सुरक्षात्मक घेरेबन्दी में अपने स्पीकर को ताइपेन में पहुँचा दिया और चीन के कड़े प्रतिबंध के बावजूद अपनी सोची समझी रणनीति से अपने कुटनीतिक चाल को कामयाब भी किया, यही कारण है कि चीन अपने युद्धपोत, टैंक, आधुनिक मिसाइल का सामरिक अभ्यास जारी किया। चीन ने 11 डौंगफेंग वैलिस्टी मिसाइलें दागी, शुरू में ही 22 लड़ाकू विमान भी चीन ने ताइवान के उपर उड़ान भरकर चेतावनी भी दिया अपने ताकत का एहसास कराने की कोशिश, शुरू से ही ताइवान को चीन अपना प्रांत बताता है एवं किसी भी देश के नेताओं के यात्रा पर विरोध दर्ज कराता रहा है। यही हाल भारत में अरूणाचल के किसी दौरे पर किसी अहमित वाले नेता या सरकारी कार्यक्रम पर किया करता है, क्योंकि चीन अरूणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है। चीन की यह आदत उसकी विरासत है।

सैनिक अभ्यास चीन का बहुत ही खतरनाक संदेश विश्व को दे रहा है क्योंकि ताइवान के लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अपने युद्धपोतों को तैनात किया है। ताइवान के तटों के नजदीक होने का मकसद चीन का नीतिगत सोच, दिखावा कभी भी ताइवान पर कब्जा कर परन्तु यह भी बात समझने का है। ताइवान पर कब्जा करना चीन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। समुद्री लाइव में विनाश की जा सकती है पर समुद्र में आगे बढ़ना और जमीनी कब्जा में जबरदस्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के युद्धवाहक पोत का पूरी सुरक्षा कवच एवं मजबूत संचार प्रणाली हर सूचनाओं से लगातार बाकीफ हो रहा है। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है हम चीन के साथ सामरिक विवाद नहीं बढ़ाना चाहते पर चीन हमारे बावत सुचनाएं इकट्ठे कर रहा है जो हमें जानकारी है, और हम हर मौके पर तैयार है चीन के किसी हमले पर, हम हर मौके पर तैयार हैं। चीन के किसी भी तरह की हमले से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पूरी तौर पर अपने सैन्य कार्यवाही के लिए एलर्ट कर चुका है। ताइवान के विदेश मंत्रालय से यही संदेश दिए जा रहे हैं, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इंगलैंड भी साथ है। आस्ट्रेलिया भी साथ का समर्थन दे रहा है।

चीन ताइवान से अधिक शक्तिशाली है। 10 युद्धपोत 100 लड़ाकू विमान के साथ घेराबन्दी खतरनाक साबित हो सकता है, पर चीन ताकत का एहसास अवश्य करा रहा है पर लड़ाई में बदलने का हालात नहीं है। ऐसा रक्षा जानकारों का कहना है, कारण कई है पर ताइवान को भी यह बात समझ में है कि युक्रेन में नाटो या अमेरिका के विश्ववसनियता का संदेश, ताइवान भी अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य के सोच को रखता है पर इसके लिए इस वक्त चीन से लड़ाकू के हालात को नहीं बनाएगा यही कारण है कि अपने बयानों में विवाद को नहीं बढ़ाने के पक्ष में संदेश दिए जा रहे हैं, सच यह भी है कि नैन्सी की यात्रा ताइवान में अमेरिका की एक कुटनीतिक चाल

थी और इसमें साफ तौर पर चीन पर दबाव बनाने में अमेरिका सफल भी हुआ, हाल के दिनों में अफगानिस्तान के काबूल में अलकायदा के प्रमुख आल जवाहरी को मारने में सफल और 9/11 का बदला भी लिया एवं विश्व में अपने सूचना तंत्र की और अपने हथियारों, ड्रोन एवं मिसाइल के ताकत का लोहा मनवाने की कोशिश भी किया। सब का मकसद अमेरिका दुनिया में अपने आप को सबसे शक्तिशाली दिखाने की कोशश में सफल भी रहा, विश्व में एक और महायुद्ध ना हो यही बेहतर होगा, क्योंकि मोदी के दौर में आज शांति की जरूरत भी है।

भारत के लिए आज अपने को विश्व में एक मार्ग को प्रशस्त करने होंगे क्योंकि विश्व में भारत का मान सम्मान और ताकत को उम्मीदों के नजर से देखा जा रहा है। युक्रेन एवं रूस का महायुद्ध हो या अब ताइवान चीन का विवाद, विश्व में अमेरिका, रूस, चीन सबको अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति की चाहत है। सभी अपने आप में महाशक्ति एवं अपने आर्थिक मजबूती के स्वार्थ में अपने-अपने चालों को लेकर कार्यरत है। इस बात का भारत को अभास है और यही कारण है कि लगातार महाशक्तियों के प्रयास के बावजूद भारत अपने कूटनीतिक निर्णयों को स्पष्ट रूप से स्वतंत्र होकर लेता है और किसी के दबाव में नहीं आता है और हर विश्व के देश और महाशक्ति को यकिन हो चुका है और भारत के लिए यह सम्मानजनक स्थिति को कायम भी रखता है। ताइवान से भी हमारा काफी कुछ व्यापारिक आयात-निर्यात की हालात है और चीन के साथ भी, विश्व में ई व्यापारिक और सामरिक हालात को सही रखने के लिए एक-दूसरे देशों के साथ मौके के तहत समझौते एवं संवाद से निर्णय तक पहुँच जाते हैं पर सभी हालातों में देश की सुरक्षा एवं देश की मान सम्मन पर सतर्क होना आवयक होता है। इस समय भारत के देश एवं रक्षा मंत्रालय बहुत गंभीरता से माहौल पर नजर रखी हुई है और समय-समय पर जरूरत के अनुसार निर्णय भी लिए जाएगें क्योंकि विश्व ताइवान चीन विवाद पर दो खेमों में बंटने लगी है, भारत का पक्ष क्या होगा इसकी उत्सुकता से इंतजार होना तय है पर भारत अपने समझ एवं सही मार्ग पर खड़ा रहने का आदी है जो भी निर्णय लेगा वह निष्पक्ष होगा। इसमें कोई शक नहीं है। भारत देश में राष्ट्रविरोधी तत्वों के साजिश पर सभी मोर्चों पर एक्शन में है, उसी तरह से आतंकवाद के खिलाफ हाल के दिनों में ताशकंद में आयोजित एशियान सम्मेलन में विदेश मंत्री श्री एस.जयशंकर ने जीरो टालरेंस की नीति पर जोर दिया एवं युक्रेन रूस का महायुद्ध के बावत खाद्य संकंट, उर्जा संकट को समाधान हेतु जल्द समाधान के लिए निर्णय एवं नीतिगत फैसले के लिए भी जोर देकर दूसरे सदस्य देशों से आग्रह किया। विश्व में आतंकवाद और जरूरी वस्तुओं की कमी न पर सभी का सोच निर्णायक होना चाहिए, विश्व के लिए आतंकवाद एक कोढ़ की बिमारी जैसी है। धार्मिक कट्टरता एवं अपने-अपने सोच से दूरी बनाना आज की विश्व की जरूरत है, एक बात जानकारी जो दुनिया को आ रही है कि महायुद्ध के बाद भी युक्रेन एवं रूस ने खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए समझौता किया जो दुनिया के लिए राहत की बात है। युक्रेन के गोदामों में भरा हुआ गेहूँ एवं मक्का जरूरतमंद लोगों को मिल पाएगा, काला सागर से युक्रेन से सुरक्षित तौर पर निकाली जाएगी। यु.एन.ओ. के मध्यस्थता से यह निर्णय दोनों देशों द्वारा ली गई जो कि काबिले तारीफ समझौता है, उम्मीद है महायुद्ध की समाप्ति हो जाए बातचीत से जिससे पूरी विश्व में राहत मिले। हर क्षेत्र में, विश्व में आज शांति और सुरक्षा की आवश्यकता है। यही सोच आतंकवाद को खात्मा के लिए हो, अफगानिस्तान के तत्कालीन सरकार के घोषणा की उनकी जमीन पर किसी आतंकी संगठन को नापाक हरकत का मौका नहीं मिलेगी। परन्तु हाल के दिनों में अलकायदा के प्रमुख का मारा जाना और संगठनों के उनके जमीन पर कार्यरत होने का प्रमाण है। आई. एस.आइ.एस. के मैगजीन में भारत विरोधी एवं भारतीय नेताओं एवं एक समुदाय विशेष को नुकसान का संदेश केवल भारत के लिए ही न हीं पूरी विश्व के लिए खतरनाक साबित होगा, जरूरी है कि ताइवान चीन या युक्रेन रूप के विवाद को बातचीत करके शांति का मार्ग प्रशस्त हो। विश्व में ऐसी माहौल बने कि लोग शांति के साथ अपने-अपने विकास के आयाम की शुरूआत करें और विश्व में एक नए माहौल से बेहतर वातावरण तैयार हो। काफी दिनों से युक्रेन रूस के महायुद्ध के कारण कई तरह के समस्या विश्व को झेलने पड़ रहे हैं। हर वक्त परमाणु युद्ध की चर्चा होती है, लोगों में दहशत और सुरक्षा की भावना में कमी होती है और इसकी असर आर्थिक विकास पर लगभग सभी देशों को असर डालता है। भारत की अपनी-पुरानी सोच पूरा विश्व में भाईचारा और आपस में प्रेमभाव का सोच को पूरा करने के लिए हिंसा का त्याग और सबका साथ आज की जरूरत है।

भारत महान देश है, विश्व में आजादी एवं क्षेत्रफल के लिहाज से भी, साथ ही साथ अपनी कार्य क्षमता के आधार पर भारत ऋषि-मुनियों की भूमि एक रहस्मय देश भी है इस देश की सबसे खास समय के साथ अपने आप को ढाल लेने की प्रवृति, एक बात पूरी दुनिया को समझ में है कि जल्दी-जल्दी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, पुरानी सभ्यता और प्राचीन संस्कृति का धनी है। शांति प्रिय देश होना विश्व में इसका सम्मान का कारण है। हालाँकि मैत्री संबंध हर देश से बनाए रखना भारत की विरासत है, कोई भी देश विपदा में आता हो उसको सहायता के लिए तैयार रहने की विरासत है। हाल के दिनों में श्रीलंका हो या मौके पर युक्रेन या कोई भी देश रहा हो। निस्वार्थ मदद के लिए खड़ा रहना भारत का इतिहास है जो हमें गौरवान्वित करता है। यही कारण है कि श्रीलंका हो या कोई देश जरूरत पर भारत का नीति सकारात्मक तौर पर मदद की होती है, पड़ोसी राज्य श्रीलंका जब आर्थिक

संकट से गुजर रहा था। 9 मई को प्रदर्शनकारियों द्वारा बगावत का बिगुल बजा रहे थे तब भारत के तरफ से 3.8 विलियन डालर की मदद की श्रीलंका ने शुक्रिया कहा भारत के मदद पर अब युक्रेन में भी जरूरत के अनुसार मदद की पहल की अब यदि समय और जरूरत होगी तो पूर्व एशिया के द्विप के लिए तैयार होगा। भारत हमेशा नेपाल हो या बंगलादेश इनके सहायता के लिए तत्पर रहता है। भारत की आतंकवादी के खिलाफ विदेशी नीति को दुनिया फॉलो कर रही है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी उपाय करने के लिए मजबूती और दक्षता से प्रतिबद्ध है, यही कारण है भारत सीमा पर आतंकवाद और आतंकवादी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान के समर्थन के लिए मुद्दा पर चर्चा एवं इस बावत लगातार द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर और संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच पर जोर शोर से उठाता रहता है। विश्व को सजग करता रहता है। दुनिया को भारत सीमा पार आतंकवाद को समाप्ति हेतु पाक से सामान्य संबंध प्रयासरत रहता है पर सच है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह बना हुआ है। पाक अभी तक 26/11 मुम्बई, आतंकी हमले के परिवारों को न्याय दिलाने में कोई भी साथ नहीं दिया, भारत के लगातार आग्रह के बावजूद आतंकवादियों को शरण दे रहा है, जिसका प्रमाण पूरी तौर पर पाक को भारत द्वारा दिए जाते हैं। बिना भेदभाव का आतंकवाद के बारे में सख्त रवैया अपनाने होगे। भारत द्वारा लगातार इस संदेश को हर मंच से स्पष्ट रूप से कही जाती है। यू. एन. में भी भारत ने विश्व को कई बार चेताया। आतंकवाद पर दोहरा रवैया ना हो और दुनिया को भारत पर भरोसा विश्व का बढ़ा है। आज बाहरी और देश में आंतरिक सुरक्षा पर सख्त, सतर्क सरकार एवं आम जनता के लिए आवश्यक है। भारत देश महान है। इस पर हम सब भारतीयों का समान हक है।

भारत में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एन.आई.ए) के द्वारा अलकायदा, बब्बर खालसा, लश्कर और जैश सहित 36 से अधिक संगठनों को प्रतिबंधित सूची में डाला है और पंजाब में कुछ आतंकी संगठन जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालीस्तानी कमांडो फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के नाम भी शामिल किया है। इन सभी का उद्देश्य केवल भारत के अन्दर दहशत फैलाना है। हालांकि कई संगठन लगभग निष्क्रिय हालात में है, और कुछ नए-नए नामों से अपने वजूद को कायम रखने के लिए विशेषकर कुछ राज्यों में छिटपुट हरकतों में गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में है। जैश-ए-मुहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन का एकमात्र सोच भारत से कश्मीर को अलग करना है इनका अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के खिलाफ भी कार्यो का सोच रहता है। मसूद अजहर 2000 में इस संगठन को स्थापित किया था, भारत में कई आतंकवादी हमलों में जिम्मेदार माना जाता है और यह भी बात पक्की हुई थी। जाँच के बाद यह संगठन लश्कर के साथ

मिलकर संसद 2001 में आत्मघाती हमले का अंजाम दिया था। लश्कर तैयबा दक्षिण एशियन के सबसे बड़े आतंकी संगठनों में एक है। हाफिज मुहम्मद सईद ने इसकी स्थापना अफगानिस्तान में किया था। पहले इसका उद्देश्य अफगानिस्तान से सोवियत सेना को बाहर करना था। बाद में मुख्य रूप से कश्मीर में दहशत एवं भारत से कश्मीर को पूरी तौर पर अलग करने का था। 1980 में स्थापना के बाद समूचे दक्षिण एशिया को कट्टरपंथी बनाकर कट्टरवाद का आतंक फैलाने की मुहिम में प्रयासरत हैं।

आजकल फिर से नेपाल एवं बांगलादेश के रास्ते पूर्वोत्तर में कुछ संगठन एक्टीव हुए है एन.डी.एफ. वी के एल.एन.एल.एफ. गोरखा टाईगर्स फोर्स, हरकत उल मुजाहिदिन, हरकत उल जेहाद, जे.एम.बी., म्यामार में सक्रिय संगठन काहिन रेवेल्स जैसे भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, नागालैण्ड में हरकत की कोशिश करते रहते हैं पर सुरक्षा बलों के दबाव से और ऑपरेशन से लगभग लाचार है। फिर भी म्यामार और बांग्लादेश में सक्रिय है। जहाँ उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है जो मौका देखकर भारत में घुसपैठ की कोशिश करके माहौल को खराब करने के ताक में रहते हैं, सूचना तंत्र एवं वी.एस.एफ. के मदद से सेना ने मणिपुर में और असम रायफल्स असम में और नागालैण्ड, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार कार्यवाही कर रही है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन बजरंग शुरू किया था। पाक की आई.एस.आई. और यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्वोत्तर में कुछ आतंकवादी संगठनों को बांग्लादेशी खुफिया विंग डी.जी.एफ. आई. से भी इन्हें मदद मिलती है। असम में उल्फा को लगभग सुरक्षा बलों एवं राजनीतिक नीतिगत दबाव से खत्म करने की कोशिश की गई है। परन्तु इनका माओवादी विचारधारा के कारण इनके साथ नक्सली और देश विरोधी तत्वों का साथ मिलता रहता है। इन सभी आतंकवादी संगठनों पर सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चौकसी का परिणाम है कि इनके एक्शन में काफी कमी आई है पर पूरे देश को इनके खिलाफ सजग रहना अति आवश्यक है।

भारत लोकतंत्र के लिए उदाहरण है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक प्रणाली का सम्मान वाला महान देश है पर आजकल बोलने और धरना-प्रदर्शन के नाम पर अजीवोगरीब देश के हालात बनते नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में धर्म के नाम पर अनावश्यक नीतिगत सरकार के निर्णयों पर जबर्दस्ती बाधा पहुँचाने के कई उदाहरण है, हाल के दिनों में बेतुकी बयानवाजी और सड़कों पर भीड़ तंत्र की अराजकता देश को सरकारी संपति का नुकसान किया, जिसकी भरपाई हम सभी आम लोगों को ही करना होगा, सरकार किसी की भी हो कोई राजनीतिक दल सत्ता में हो या विपक्ष में यह सच्चाई है हमारा धन ही देश को विकास में शामिल रहता है। राजनीतिक स्वार्थ आजकल पराकाष्ठा पर है और इसमें परिवारवाद क्षेत्रवाद, धर्म के नाम पर भड़काने वाली बयानवाजी, हरकतें देश के लिए अत्यंत दुखद है, जिसके परिणाम भारत के विकास पर पड़ना तय है। हाल के अग्निपथ योजना के खिलाफ ट्रेन में आगजनी इंटेलिजेंस इनपुट से साफ हुआ है कि इसमें नक्सलियों का हाथ था। बहुआत नक्सली भरदुल के पकड़े जाने पर इसकी पुष्टि हुई है। छात्रों को भड़काने में कुछ बुद्धिजीवि भी शामिल पाए गए हैं, जिनका मकसद अपने विचारधारा को सत्ता पर काबिज होना होता है। आजकल लोकतंत्र की दुहाई देकर सड़क से संसद तक केवल प्रदर्शन धरना का चलन है। हर राजनीतिक दल अपने तर्क से सही साबित करने में लगा है। भ्रष्टाचार पर ई.डी. जाँच पर आवाजें उठाई जा रही है। लोकतंत्र में जाँच प्रक्रिया अवश्य हो निष्पक्ष हो, सरकारी एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाई जाए देश में इसकी जरूरत है। अवश्यक है कि कोई भी जाँच निष्पक्ष और सच के साथ हो। ●

(लेखक बी.एस.एफ. के पूर्व अधिकारी हैं।)

“Pakistan Colonel gave me Rs 30,000 to attack Indian Army,” reveals captured terrorist

Indian Army on Wednesday said that the terrorist, who was captured alive when the troops foiled an infiltration bid, has revealed that he was assigned task by the Pakistan Intelligence Agency to recce forward posts along with a group of terrorists along the Line of Control in Naushera sector of Rajouri district.

"In last 48 hours, two major infiltration bids have been eliminated by alert troops deployed along the Line of Control in Naushera Sector of District Rajouri," Brig Kapil Rana, Commander Naushera Brigade told reporters at a press conference. He said that on August 21 morning, alert soldiers deployed in Jhangar sector of Naushera spotted movement of two to three terrorists on own side of Line of Control. “One terrorist came close to the Indian post and tried cutting the fence, when he was challenged by alert sentries. The terrorist tried to flee, however, was brought down by effective fire, incapacitating him,” said the Army officer. He added that two terrorists, who were hiding behind, fled the area by taking cover of dense jungle and broken ground, adding, “the injured Pakistani terrorist was captured alive and provided with immediate medical aid and life-saving surgery was carried out.” The captured terrorist revealed his identity as Tabarak Hussain, resident of Sabzkot village, district Kotli of Pakistan-occupied-Kashmir.

“On interrogation, the terrorist confessed about their plan to attack the Indian Army Post. Hussain stated that he was sent by a Colonel of Pakistan Intelligence Agency named Col Yunus Chaudhry who had paid him 30,000 Pakistani Rupees,” he said. Tabarak also revealed that he along with other terrorists had carried two/ three close recce of Indian forward posts with an aim to target them at an opportune time. The go ahead to target the Indian post was given by Col Yunus Chaudhry on Aug 21 and incidentally, the individual was earlier captured by Indian Army from the same sector in 2016 along with his brother Haroon Ali, and was repatriated on humanitarian grounds in November 2017. “In the second operation, on the night of August 22-23, a group of two to three terrorists tried to infiltrate in Lam sector of Naushera but our alert troops were able to observe the terrorists as they crossed the Line of Control and continuously monitored this movement,” he said.

Brig Rana said that as they moved ahead into the mine fields a series of mines got activated and two terrorists got eliminated on the spot, adding, “the other terrorists is possibly injured and is hiding in the area or has gone back taking advantage of the inclement weather and dense foliage.” On Aug 23 morning, a quadcopter was flown over the area and bodies of the two dead terrorists were observed while a deliberate operation was launched through the heavily mined area and the bodies of the two terrorists have were recovered along with one AK-56, three Magazines and a large quantity of ammunition and war like stores. “As the area is heavily mined, the search operation is being carried out carefully and is still under progress,” he said and added that more recoveries are expected. “The two infiltration bids in a short span of 48 hours is a direct attempt by the adversary across our Western borders to disrupt the peace in Rajouri region. However, own troops deployed on the Line of Control remain alert to defeat any nefarious designs of the adversary,” the Army officer stated.

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485
7004408851

E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ क्या कोई हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है ?

हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 दो में उन अवस्थाओं का वर्णन है जिनमें एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण का दावा कर सकती है (1)यदि पति-पत्नी के अभित्याग का अपराधी हो अर्थात पति उचित कारण के बिना या बिना पत्नी की राय के या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे त्यागता है या उपेक्षा पूर्वक उसकी अवहेलना करता है (2) यदि पति ने इस प्रकार के निर्दयता का व्यवहार किया है जिससे उसकी पत्नी के दिमाग में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो जाए कि उसका पति के साथ रहना हानिकारक या घातक है(3) यदि पति कुष्ठ रोग से ग्रसित है (4) यदि पति की कोई दूसरी जीवित पत्नी है उस घर में जिसमें उसकी पत्नी रहती है उसी में रखैल रखता है या अन्यत्र कहीं उस रखैल के साथ प्राय: रहता है (5)यदि वह हिंदू धर्म त्याग कर कोई दूसरा धर्म अपना लेता है (6) यदि कोई अन्य कारण है जो उसके पृथक निवास को न्यायोचित ठहराता है। यहां त्याग तथा क्रूरता की स्थिति का निर्वचन उसी अर्थ में किया जाएगा जिस अर्थ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 एवं 13 के अंतर्गत किया गया है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय से यह प्रतिष्ठित हो चुका है कि अभीत्याग के लिए पृथक निवास तथा वैवाहिक संबंध समाप्त करने का स्थाई आशय आवश्यक तत्व है और क्रूरता शारीरिक एवं मानसिक दोनों हो सकती है केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक वाद मे सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जहां पति अभित्याग का दोषी है वहां यह साबित करना कि ही पर्याप्त होगा कि वह अलग रह रहा है (चारू बना क्रॉउन 1929)10 लाहौर 265) दत्तक ग्रहण अधिनियम और भरण पोषण अधिनियम ने पत्नी के पृथक निवास और भरण पोषण के अधिकार को विस्तृत कर दिया है। इस की धारा 18 (2) में ऐसी दशाओं का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार एक हिंदू पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण प्राप्त करने का दावा कर सकती है।

भरण पोषण का अधिकार व्यक्तिगत होने से पत्नी अपने पति के जीवन काल में उसके किसी अन्य संबंधी को इस उपधारा के अधीन भरण-पोषण पाने के लिए तथा अलग निवास के अधिकार के लिए रखैल और पत्नी का उसी घर में रहने की बात साबित होना जरूरी है किंतु उपर्युक्त स्थिति में जब की रखैल उसी घर में रह रही है और पत्नी अलग हो गई है तो धारा 18(2) (7)केअधीन भरण-पोषण पाने की अधिकारी हो जाएगी(भद्रा रेड्डी बनाम शानमया ए आई आर 1987 कर्नाटक 209) नरेंद्र पाल कौर चावला बनाम मनजीत सिंह चावला एआईआर 2008 दिल्ली 07 के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि जहां पति ने अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से विवाह किया है और उसकी दूसरी पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके पति ने इस विवाह के पूर्व विवाह संपन्न किया है और और दूसरी पत्नी की है सिर्फ से वाह 14 वर्षो से लगातार उसके साथ निवास कर रही है जिसके परिणाम स्वरूप उससे उसको दो पुत्रियां उत्पन्न हुई उपरोक्त मामलों का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया की दूसरी पत्नी हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 की उप धारा 2 के अंतर्गत उसकी पहली पत्नी के जीवित रहते रहने की अवस्था में भी वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है इस संबंध में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दूसरी पत्नी से इस विश्वास के साथ विवाह किया गया कि वह उससे पहली बार विवाह जब पत्नी की ओर से कोई वाद पृथक भरण पोषण के लिए न्यायालय में दायर किया जाता है तो न्यायालय कोई अधिकार है की पत्नी एवं पति के पारस्परिक संबंध के स्वीकृत हो जाने पर अंतरिम भरण-पोषण का प्रबंध कर दे मीना चोपड़ा बनाम दीपक चोपड़ा एआइआर 2002 दिल्ली के मामले में पति एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जो अनैतिक जीवन व्यतीत करता था विवाह उपरांत उसने अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद कर लिया था पत्नी ने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने भरण पोषण के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन न्यायालय के समक्ष दिया प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने पति की स्थिति का अवलोकन करते हुए आदमी को अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ₹20000 प्रतिमाह भरण पोषण हेतु देने का आदेश दिया।

✯ जानिए कि सदन के संदर्भ में साइन डाई का क्या अर्थ होता है?

जब सदन की अध्यक्षता करने वाला पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित करते हुए आगामी बैठक या समय की घोषणा नहीं करता है तो कहा जाता है कि सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है अंग्रेजी में इसे साइन डाई कहते हैं।

✯ कब एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ उसके मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने पर बलात्कार की कोटि में आता है?

यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है तो पति द्वारा किया गया मैथुन बलात्कार की श्रेणी में आता है साथी यदि जो कि अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रकार या रीति रिवाजों के अधीन उससे अलग रह रही हो तो उसकी सहमति के बिना मैथुन करता है तो वैसे पति को 2 वर्षों से लेकर 7 वर्षों तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है इस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था भारतीय दंड संहिता की अधिनियम की धारा 376 ख में किया गया है यह एक संगीन एवं अजमानती अपराध होता है इसकी ट्रायल सेशन न्यायालय में किया जाता है।

✯ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर कितने वर्षों तक की सजा हो सकती है?

जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक हो उस समय जब वैसे लोक सेवक होने के नाते वह अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो तो इस आशय से की उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या डराने या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधि पूर्वक निर्वहन में की गई या की जाने के लिए किसी बात के परिणाम स्वरुप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास की अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जा सकता है इसकी व्यवस्था भारतीय दंड संहिता की धारा 353 में की गई है।

सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर

केवल सच सामाजिक संस्थान और श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट अपने भविष्य के आगामी योजनाओं में सामाजिक एवं बौद्धिक सुधार के क्षेत्र में पुर्नजागरण के शंखनाद हेतु बिहार और झारखण्ड राज्य के मेधावी/सक्षम/योग्य/दक्ष एवं कर्मठ नवयुवकों को अपने टीम में वैतनिक/अवैतनिक रूप से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहती है। उक्त स्वयंसेवी संस्थान मुख्य रूप से 'अपना घर' (वृद्धाश्रम आवास योजना), परिवार परामर्श केन्द्र, शिक्षा का संक्षिप्त पाठ्यक्रम (मूल रूप से निर्धन/बेसहारा लड़कियों हेतु) और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रीत करना चाहती है। इन कार्यक्रमों से जुड़कर नवयुवक सामाजिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। उक्त संगठन इसके लिए टीम वर्क के तहत कार्य करना चाहती है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयक के अधीन वार्ड/ पंचायत/ प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी करना चाहती है। इस संस्थान से जुड़कर इच्छुक नवयुवक उक्त पदों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

संस्थान

shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट

www.shruticommunicationtrust.org

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत संचालित

निबंधन संख्या : 22333/2008, आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2549-52 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1073

केवल सच सामाजिक संस्थान

भारतीय सोसायटी एक्ट 21, 1860 के तहत निबंधित

निबंधन संख्या : 1141 (2009-10), आयकर निबंधित : 12 ए ए/2012-13/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

www.ks3.org.in

Regd. Office:- East Ashok Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar)
Jharkhand State Office:- **Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi**
Mob.- 9431073769

17th Foundation Year 2022

BABA TILKA MANJHI

MAHANAYAK OF INDIAN FREEDOM FIGHTER

झारखण्ड व्यक्तित्व

18 सितम्बर 2022 (रविवार)

महानायक बाबा तिलका मांझी केवल सच सम्मान-2022

-: आयोजक :-	-: कार्यक्रम स्थल :-
केवल सच (हिन्दी मासिक पत्रिका) · Shruti कम्युनिकेशन ट्रस्ट पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या- 14/28 कंकड़बाग, पटना - 800020, बिहार मो.- 9431073789, 8340380981	राज्य संग्रहालय खेलगाँव, होटवार, राँची (झारखण्ड)